

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 सितम्बर 2012—भाद्र 16, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2012

क्र. ई.-1-269-2012-5-एक.—श्री यू. के. सुबुद्धि, भावसे (1992), वन संरक्षक, विदिशा मण्डल (सामान्य) को इस विभाग के आदेश एफ 7-151-2010-1-7-स्था. 3, दिनांक 17 जुलाई 2012 को एतद्द्वारा संशोधित करते हुए इनकी सेवाएं मछली पालन विभाग को सौंपते हुए, प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ पदस्थ किया जाता है.

उपरोक्तानुसार श्री यू. के. सुबुद्धि द्वारा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सलीना सिंह, भाप्रसे (1986), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन विभाग

तथा प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ केवल प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ के अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगी.

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. ई.-5-416-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आय.ए.एस., आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल को दिनांक 21 अगस्त से 1 सितम्बर 2012 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19 एवं 20 अगस्त 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) श्री के. सुरेश की अवकाश अवधि में श्री एम. मोहन राव, आय.ए.एस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अनुसूचित जाति कल्याण तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति, वित्त एवं विकास निगम तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग को

अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सुरेश द्वारा आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एम. मोहन राव, आयुक्त-सह-संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान, भोपाल के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-634-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. मनोहर अगनानी, आय.ए.एस., आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश को दिनांक 18 अगस्त से 7 सितम्बर 2012 तक, इक्कीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. मनोहर अगनानी की अवकाश की अवधि में डॉ. रवीन्द्र पस्तोर, आय.ए.एस. मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. मनोहर अगनानी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. मनोहर अगनानी द्वारा आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रवीन्द्र पस्तोर, आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में डॉ. मनोहर अगनानी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. मनोहर अगनानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-756-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एस. के. पाल, आय.ए.एस., सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 21 अगस्त से 1 सितम्बर 2012 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 अगस्त 2012 एवं दिनांक 2 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. पाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एस. के. पाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. पाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-831-आयएएस-लीव-5-एक.—सुश्री स्वाति मीणा, आय.ए.एस., कलेक्टर, जिला मण्डला को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जुलाई 2012 द्वारा दिनांक 3 से 9 अगस्त 2012 तक स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. ई.-5-869-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री अजय गुप्ता, आय.ए.एस., अनुविभागीय अधिकारी, शुजालपुर, जिला शाजापुर को दिनांक 16 से 30 जुलाई 2012 तक पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अजय गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी, महू जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय गुप्ता अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. ई.-5-296-आयएएस-लीव-5-एक.--(1) श्रीमती आभा अस्थाना, आय.ए.एस., महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) को दिनांक 30 अक्टूबर से 9 नवम्बर 2012 तक, ग्यारह दिन का एक्स इंडिया असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 27, 28, 29 अक्टूबर 2012 (पूर्ववर्ती) एवं दिनांक 10, 11 नवम्बर 2012 (पश्चात्वर्ती) का सार्वजनिक अवकाश तथा दिनांक 12 एवं 15 नवम्बर 2012 के ऐच्छिक अवकाश के साथ दिनांक 13 नवम्बर 2012 (सार्वजनिक अवकाश) एवं 14 नवम्बर 2012 (स्थानीय अवकाश) को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्रीमती आभा अस्थाना की उक्त अवकाश अवधि में श्री राकेश अग्रवाल, भाप्रसे., संचालक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती आभा अस्थाना को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल तथा महानिदेशक, अटल बिहारी बाजपेयी लोक प्रशासन संस्थान तथा पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (विधिक एवं सतर्कता प्रकोष्ठ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती आभा अस्थाना अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्र. ई.-1-300-2012-5-एक.—श्रीमती दीपाली रस्तोगी, भाप्रसे. (1994), पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक, मुद्रांक, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग भी घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. ई.-5-558-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विनोद कुमार, आय.ए.एस., सचिव, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग, भोपाल

को दिनांक 21 से 25 अगस्त 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 18, 19, 20 एवं 26 अगस्त 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विनोद कुमार को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश, मानव अधिकार आयोग, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री विनोद कुमार को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विनोद कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-778-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, आय.ए.एस., सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जून 2012 द्वारा दिनांक 2 से 13 जुलाई 2012 तक, बारह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दिनांक 2 से 17 जुलाई 2012 तक, सोलह दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28 जून 2012 की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी।

क्र. ई.-5-800-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती मधु खरे, आय.ए.एस., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 23 से 31 जुलाई 2012 तक, नौ दिन का लघुकृत अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मधु खरे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मधु खरे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मधु खरे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. ई.-5-725-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) डॉ. एम. गीता, भाप्रसे., नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश को दिनांक 3 से 7 सितम्बर 2012 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 2 एवं 8, 9 सितम्बर 2012 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) डॉ. एम. गीता की अवकाश की अवधि में श्रीमती सूरज डामोर, भाप्रसे., सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. गीता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) डॉ. एम. गीता द्वारा नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती सूरज डामोर, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश के प्रभार से मुक्त होंगी।

(5) अवकाशकाल में डॉ. एम. गीता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. गीता अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

क्र. ई.-1-293-2012-5-एक—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे. के अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाये गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्रमांक	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समक्ष घोषित किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्रीमती सूरज डामोर, (1994) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति	सचिव	-
		मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	

(1) (2) (3) (4)

कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (अतिरिक्त प्रभार).

2. श्री जॉन किंग्सली ए.आर. (2004) संचालक, ग्रामीण रोजगार एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारी समग्र स्वच्छता अभियान. मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा-सह संचालक पंचायती राज. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन.

(2) श्री जॉन किंग्सली ए.आर., भाप्रसे. (2004) की मूल पदस्थापना मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा के पद पर रहेगी और मिशन संचालक, समग्र सामाजिक सुरक्षा का पद सृजन होने तक की अवधि के लिए उनके वेतन का आहरण संचालक, पंचायती राज के पद के विरुद्ध किया जाएगा।

(3) इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक ई-1-208-2012-5-एक, दिनांक 14 जून 2012 जिसके द्वारा श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998) को अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पदस्थ किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है। श्रीमती पुष्पलता सिंह, भाप्रसे (1998) की पदस्थापना पूर्वानुसार संचालक, ग्रामीण रोजगार रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-11-2011-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145/13, दिनांक 9 जून 1953 द्वारा जिला मन्दसौर की मन्दसौर तहसील के मण्डी क्षेत्र मन्दसौर में (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त मण्डी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, उक्त मण्डी क्षेत्र में से मन्दसौर जिले की दलौदा तहसील के नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित 57 ग्राम जो जिला मन्दसौर की तहसील मन्दसौर में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके "उक्त मण्डी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन करना प्रस्तावित है।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 के उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा "उक्त मण्डी क्षेत्र" में उक्त क्षेत्र को विपाटित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र में" प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल द्वारा प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा:—

अनुसूची

1. दलौदा चौपाटी, 2. दलौदा रेल, 3. नन्दावता, 4. डोराना,
5. बरखेड़ी, 6. सकरिया, 7. जवासिया, 8. ज्ञानपुरा,
9. करनाखेड़ी, 10. मगरोला, 11. करजू, 12. अकोदड़ा,
13. राकोदा, 14. गुराडिया लालमुहा, 15. हनुमति
16. सेमलिया हीरा, 17. पाल्या लालमुहा, 18. टोलखेड़ी,
19. नाईखेड़ी, 20. पिपलिया मुजावर, 21. फतेहगढ़,
22. बानीखेड़ी, 23. निम्बाखेड़ी, 24. ऐलची, 25. पटेला,
26. लालाखेड़ा, 27. मजेसरा, 28. मजेसरी, 29. ताजखेड़ी,
30. देहरी, 31. चांदाखेड़ी, 32. सगवाली, 33. भण्डारिया,
34. गरोड़ा, 35. बनी, 36. कटलार, 37. पिपलखेड़ी,
38. माउखेड़ी, 39. चौसला, 40. भावगढ़, 41. धन्धोड़ा,
42. बालोदिया, 43. नान्दवेल, 44. बेहपुर, 45. खोड़ाना,
46. खजुरिया सारंग, 47. निम्बोद, 48. रीछालालमुहां,
49. दलोदा सगरा, 50. लखमाखेड़ी, 51. सरसोद,
52. गुराडियाशाह, 53. पलासिया, 54. लसुड़ियाइला,
55. कचनारा, 56. आक्याउमाहेड़ा, 57. नगरी, 58. खेरोदा,
59. हरचंदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2012

क्र. डी-15-11-2011-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 22nd June 2012

No. D-15-11-2011-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification No. 145/13, dated 9th June 1953 issued under the provisions of Section 3 of sub-section (3) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government here by regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Mandasaur Tehsil of Mandasaur District, (here in after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS, it is now proposed to alter the limits of the "said market area" by split up here with the area comprising of 57 Villages situated in the following list of Dalauda Tehsil of Mandasaur District (here in after referred to as the "said area").

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government here by signifies its intention to alter the limits of the said market area by splitting up as per the "said area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government:—

LIST

1. Dalauda Choupati, 2. Dalauda Rail, 3. Nandawata,
4. Dorana, 5. Barkhedi, 6. Sakariya,
7. Jawasiya, 8. Gayanpura, 9. Karnakhedi,
10. Magrola, 11. Karju, 12. Akodara,
13. Rakoda, 14. Guradiya Lalmuha,
15. Hanumati, 16. Samaliyaheera, 17. Palyalal-
18. Tolkhedi, 19. Naikhedi,
20. Pipliyamujawar, 21. Phatehgarh, 22. Bani-
23. Nimbakhedi, 24. Alchi, 25. Patela,
26. Lalkheda, 27. Majesra, 28. Majesri,
29. Tajkhedi, 30. Dahari, 31. Chandakhedi,
32. Sagwali, 33. Bhandariya, 34. Garoda,
35. Bani, 36. Katlar, 37. Pipalkhedi,
38. Maukhedi, 39. Chousla, 40. Bhavgarh,
41. Ghandhoda, 42. Balodiya, 43. Nandbel,
44. Behpur, 45. Khodana, 46. Khajuriya Sarang,
47. Nimbod, 48. Richhalalmuha, 49. Dalauda
50. Sagra, 50. Lakhmakhedi, 51. Sarsod,
52. Guradiyashah, 53. Palasiya, 54. Lasudiyaaila,

55. Kachnara, 56. Akyamaheda, 57. Nagri,
58. Kheroda, 59. Herchandi.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-10-2012-चौदह-3, दिनांक 22 जून 2012 के द्वारा राज्य सरकार ने टीकमगढ़ जिले की तहसील पलेरा में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये पलेरा में पृथक् मण्डी स्थापित करने की घोषणा की थी.

अतएव, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में टीकमगढ़ जिले की तहसील पलेरा के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिए पलेरा में पृथक् मण्डी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-10-2012-XIV-3.—WHEREAS, vide this Department Notification No. D-15-10-2012-XIV-3, dated 22nd June 2012 issued under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a Seperate market at Palera for regulating the purpose and

sale of the Agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Act, including all Revenue and Forest Villages of Tehsil Palera in Tikamgarh District.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a separate market at Palera for regulating the purchase and sale of the Agricultural produce mentioned in the/act. including all Revenue and Forest Villages of the Tehsil Palera in Tikamgarh District.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 नवम्बर 1975 द्वारा जिला टीकमगढ़ की तहसील जतारा के मण्डी क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मण्डी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-10-2012-चौदह-3, दिनांक 22 जून 2012 द्वारा टीकमगढ़ जिले की पलेरा तहसील में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मण्डी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके "उक्त मण्डी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन करने का आशय संज्ञापित किया था.

अतएव, मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से "उक्त मण्डी क्षेत्र" को टीकमगढ़ जिले की पलेरा मण्डी के "उक्त क्षेत्र से" विपाटित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-10-2012-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification even No. dated 24th November 1975 issued under the provisions of Section 3 of sub-section (3) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960) the State Government hereby regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Tehsil Jatara in Tikamgarh District, (here in after referred to as the "said market area").

AND WHEREAS, by this Department Notification No. D-15-10-2012-XIV-3, dated 22nd June, 2012 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government has signified its intention to alter the limit of the said Market area by split up there from the area comprising of Villages situated in Palera Tehsil of Tikamgarh District, (here in after referred to as the said area).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby signifies its intention to establish a separate market at Palera by splitting the "said market area" from the "said area".

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति पलेरा के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने

समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम पंचायत पलेरा, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 1620/3क, 1620/3ख/1, 219/3 की 7.264 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

खसरा क्रमांक (1)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (2)
219/1, 219/3	10.00
1808/1/3(ख)	5.00
योग . .	<u>15.00</u>

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल का कार्यालय.

दक्षिण में—आबादी.

पूर्व में—जनपद कार्यालय.

पश्चिम में—सम्पूर्ण पलेरा तहसील.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-10-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area

for which a market at Palera has been established by this Department's Notification even No. dated 27th August, 2012 shall be the market yard namely:—

10. चोरटानगा, 11. टपरियन चौहान, 12. लिघोरा,
13. खुमानगंज, 14. वूदौर, 15. सतवारा.

PLACE

An area of 11.406 Hecters land of below Mentioned Khasra number 219/1, 219/3 at Gram Panchayat Dalauda in Tehsil Dalauda of District Mandsaur:—

Khasra No. (1)	Area (in Acs) (2)
219/1, 219/3	10.00
1808/1/3(b)	5.00
Total.	<u>15.00</u>

BOUNDED BY

- On the North by**—Office of M.P.E.B.
On the South by—Population
On the East by—Office of Janpad Panchayat
On the West by—Whole Tehsil of Palera

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र पलेरा जिला टीकमगढ़ के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत पलेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
(2) मूल मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

1. गुआवा, 2. घुतकड़ा, 3. पटपरा, 4. सैपुरा, 5. वेडरी,
6. नयागांव, 7. अतरार, 8. करई, 9. लहरबुजुर्ग,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-10-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-10-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declare that in the relation to the market yard vide this department's notification even number dated 27th August, 2012 the following area of Palera of district Tikamgarh shall be Proper market yard:—

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchayat Palera in Tehsil Palera of District Tikamgarh.

(2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Main Market yard namely:—

1. Guawa, 2. Dhutkara, 3. Patpara, 4. Saipura,
5. Beari, 6. Nayagon, 7. Atrar, 8. karrai, 9. Lahar bujurg,
10. Chor Tanga, 11. Tapariyan Chowhan, 12. Lidhora,
13. Khuman Ganj, 14. Budor, 15. Satwara.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-11-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा

(1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-2011-चौदह-3, दिनांक 22 जून 2012 के द्वारा राज्य सरकार ने मन्दसौर जिले की दलौदा तहसील में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये दलौदा में पृथक् मंडी स्थापित करने की घोषणा की थी।

अतएव, कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में मन्दसौर जिले की दलौदा तहसील के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये दलौदा में पृथक् मंडी स्थापित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-11-2012-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-11-2012-XIV-3.— WHEREAS vide this department Notification No. D-15-11-2011-XIV-3, dated 22 June, 2012 issued under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a Seperate market at Dalauda for regulating the purpose and sale of the Agricultural produce mentioned in the schedule of the said Act, including all Revenue and Forest villages of Tehsil Dalauda in Mandsour District.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby establish a separate Market at Dalauda for regulating the purchase and sale of the

agricultural produce mentioned in the act. including all revenue and forest villages of the Tehsil in Mandosaur District.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-11-2012-चौदह-3.— चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा जिला मन्दसौर की तहसील मन्दसौर के मंडी क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-11-2011-चौदह-3, दिनांक 22 जून 2012 द्वारा मन्दसौर जिले की दलौदा तहसील में स्थित निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेखित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् “उक्त मंडी क्षेत्र” के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके “उक्त मंडी क्षेत्र” की सीमाओं में परिवर्तन करने का आशय संज्ञापित किया था।

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के “मध्यप्रदेश राजपत्र” में प्रकाशित होने के दिनांक से “उक्त मंडी क्षेत्र” को मन्दसौर जिले की दलौदा मंडी के “उक्त क्षेत्र से” विपाटित करके मंडी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है:—

अनुसूची

1. दलौदा चौपाटी, 2. दलौदा रेल, 3. नन्दावता, 4. डोराना, 5. बरखेड़ी, 6. सकरिया, 7. जवासिया, 8. ज्ञानपुरा, 9. करनाखेड़ी मगरौला, 11. करजू, 12. अकोदड़ा, 13. राकोदा, 14. गुराड़िया लालमुहा, 15. हनुमति, 16. सेमलिया हीरा, 17. पाल्या लालमुहा, 18. टोलखेड़ी, 19. नाईखेड़ी, 20. पिपलिया मुजावर, 21. फतेहगढ़, 22. बानीखेड़ी, 23. निम्बाखेड़ी, 24. ऐलची, 25. पटेला, 26. लालाखेड़ा, 27. मजेसरा, 28. मजेसरी, 29. ताजखेड़ी, 30. देहरी, 31. चांदाखेड़ी, 32. सगवाली, 33. भण्डारिया, 34. गरोड़ा, 35. बनी, 36. कटलार,

37. पिपलाखेड़ी, 38. माउखेड़ी, 39. चौसला, 40. भावगढ़.
41. धन्धोड़ा, 42. बालोदिया, 43. नांदवेल, 44. बेहपुर, 45. खोड़ाना,
46. खजुरिया सारंग, 47. निम्बोद, 48. रीछालाल मुहा, 49. दलोदा
सगरा, 50. लखमाखेड़ी, 51 सरसोद, 52. गुराडियाशाह, 53. पलासिया,
54. लसुडियाइला, 55. कचनारा, 56. आक्याउमाहेडा, 57. नगरी,
58. खेरोदा, 59. हरचंदी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-11-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-11-2007-XIV-3.—WHEREAS, by this department Notification No. dated 9th June, 1953 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Tehsil Mandsaur in Mandsaur District, (here in after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS by this department Notification No. D-15-11/2011/XIV-3, dated 22nd June 2012 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signifies it's intention to alter the limit of the said Market area by split up there from the area comprising of following schedule of villages situated in Dalauda Tehsil of Mandsaur district, (here in after referred to as the said area).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by signifies

its intention to establish a seperate market at Dalauda by splitting the "said market area" from the "said area."—

SCHEDULE

1. Dalauda Choupati, 2. Dalauda Rail, 3. Nandawata, 4. Dorana, 5. Barkhedi, 6. Sakariya, 7. Jawasiya, 8. Gayanpura, 9. Karnakhedi, 10. Magrola, 11. Karju. 12. Akodara, 13. Rakoda, 14. Guradiya lalmuha, 15. Hanumati, 16. Samjalijaheera, 17. Palyalalmuha, 18. Tolkhedha, 19. Naikhedi, 20. Pipliyamujawar, 21. Phatehgarh, 22. Banikhedi, 23. Nimbakhedi, 24. Alchi, 25. Patela, 26. Lalkheda, 27. Majesara, 28. Majesri 29. Tijkhedi, 30. Dahari, 31. Chandakhedi, 32. Sagwali, 33. Bhandariya, 34. Garoda, 35. Bani, 36. Katlar, 37. Pipalkhedi, 38. Maukhedi, 39. Chousla, 40. Bhavgarh, 41. Ghandhoda, 42. Balodiya, 43. Naadvel, 44. Behpur, 45. Khodana, 46. Khajuriya, Sarang, 47. Nimbod, 48. Richhalalmuha, 49. Dalauda Sagra, 50. Lakhmakhedi, 51. Sarsod, 52. Guradiyashah, 53. Palasiya, 54. Lasudiyaila, 55. Kachnara, 56. Akyaumaheda, 57. Nagri, 58. Kheroda, 59. Herchandi.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-11-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त, 2012 के द्वारा स्थापित कृषि मण्डी समिति दलौदा के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम पंचायत दलौदा, तहसील दलौदा, जिला मन्दसौर के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 219/1, 219/3 की 7.264 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र:—

खसरा क्रमांक (1)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (2)
219/1, 219/3	11.406
योग . . .	11.406

जिसकी सीमाएं

उत्तर में—शासकीय भूमि.
दक्षिण में—ऐलची रोड.
पूर्व में—निजी भूमि.
पश्चिम में—खदान.

On the East by—Private Land.

On the West by—Mine.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-11-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जून 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

क्र. डी-15-11-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र दलौदा जिला मन्दसौर के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

क्षेत्र

Bhopal, the 27th August 2012

(1) ग्राम पंचायत दलौदा, तहसील दलौदा, जिला मन्दसौर की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.

(2) मूल मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—

No. D-15-11-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Bhitwar has been established by this Department's Notification even No. dated 27th August, 2012 shall be the market yard namely:—

1. दलौदा चौपाटी, 2. दलौदा रेल, 3. बानीखेड़ी, 4. निम्बाखेड़ी, 5. फतेहगढ़, 6. टोलखेड़ी, 7. नाईखेड़ी, 8. पिपलीया मुजावर, 9. लक्माखेड़ी, 10. घुधडका, 11. आक्याउमाहेडा, 12. दलौदा सगरा, 13. सोनगरी 14. रीछाबच्चा, 15. लालाखेड़ी, 16. पटेला, 17. ऐलची, 18. मोरखेड़ा, 19. बाबरेचा 20. गुदियाना, 21. घमनार, 22. पाडलिया लामुहॉ, 23. अमलावद, 24. निधारी.

PLACE

An area of 11.406 Hecters land of below Mentioned Khasra number 219/1, 219/3 at Gram Panchayat Daldauda in Tehsil Daldauda of District Mandsaur:—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Khasra (1)	Area (in Hecters) (2)
219/1, 219/3	11.406
Total.	<u>11.406</u>

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-11-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

BOUNDED BY

On the North by—Government Land.
On the South by—Alchi Road.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-11-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government here by declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department's notification even number dated 27th August, 2012 the following area of Dalauda of district Mandsaur shall be Proper market yard:—

AREA

(1) An area within the limit of Gram Panchyat Dalauda in Tehsil Dalauda of District Mandsaur.

(2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the main market yard namely:—

1. Dalauda Chaupati, 2. Dalauda Rail,
3. Baanikhedi, 4. nimbaphedi,
5. Phethgarh, 6. Tolkhedi, 7. Naaikhedi,
8. Pipaliya Mujawar, 9. Lakmakhedi,
10. Ghughadka, 11. Akyaumaheda,
12. Dalauda Sagra, 13. Sonagri,
14. Richhabacha, 15. lalakhedi, 16. Patela,
17. Alchi, 18. Morkheda, 19. Baabrecha,
20. Gudiyana, 21. Ghamnar, 22. Padiliya Lamuha, 23. Amlawad, 24. Nidhari.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-12-2012-चौदह-3, दिनांक 22 जून 2012 के द्वारा राज्य सरकार ने हरदा जिले की तहसील सिराली में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिये सिराली में पृथक् मण्डी स्थापित करने की घोषणा की थी.

अतएव, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध

में हरदा जिले की तहसील सिराली के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय को विनियमन करने के लिए सिराली में पृथक् मण्डी स्थापित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-12-2012-XIV-3.—WHEREAS, *vide* this this Department Notification No. D-15-12-2012-XIV-3, dated 22nd June 2012 issued under the provision of sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby declares its intention to establish a Seperate market at Sirali for regulating the purpose and sale of the Agricultural produce mentioned in the Schedule of the said Act, including all Revenue and Forest Villages of Tehsil Sirali in Harda District.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby establish a separate market at Sirali for regulating the purchase and sale of the Agricultural produce mentioned in the act. including all Revenue and Forest Villages of the Tehsil Sirali in Harda District.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन जारी की गई इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 1969 द्वारा जिला हरदा की तहसील खिरकिया के मण्डी क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मण्डी क्षेत्र" के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त

अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था।

और, चूंकि, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) के उपबन्धों के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-12-2012-चौदह-3, दिनांक 22 जून 2012 द्वारा हरदा जिले की सिराली तहसील में स्थित ग्रामों में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् "उक्त मण्डी क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके "उक्त मण्डी क्षेत्र" की सीमाओं में परिवर्तन करने का आशय संज्ञापित किया था।

अतएव, मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 71 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से "उक्त मण्डी क्षेत्र" को हरदा जिले की सिराली मण्डी के "उक्त क्षेत्र से" विपाटित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-12-2012-XIV-3.— WHEREAS, by this Department Notification even No. dated 11th February 1969 issued under the provisions of Section 3 of sub-section (3) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960) the State Government hereby regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Tehsil Khirkia in Harda District, (here in after referred to as the "said market area").

AND, WHEREAS, by this Department Notification No. D-15-12-2012-XIV-3, dated 22nd June, 2012 issued under the provision of clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi

Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government has signifies it's intention to alter the limit of the said Market area by split up there from the area comprising of Villages situated in Sirali Tehsil of Harda District, (here in after referred to as the said area).

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 71 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) the State Government hereby signifies its intention to establish a sepearte market at Sirali by splitting the "said market area" from the "said area".

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.— मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 के द्वारा स्थापित कृषि उपज मण्डी समिति सिराली के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान, उस पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात्:—

स्थान

ग्राम पंचायत सिराली तहसील सिराली, जिला हरदा के निम्नलिखित खसरा क्रमांक 211/7, 211/5, 211/6, 211/18, 212/ 4, 212/5, 240/2, 241, 242/7 242/8 रकबा 17.41 एकड़ भूमि का क्षेत्र:—

खसरा क्रमांक (1)	क्षेत्रफल (एकड़ में) (2)
211/7	2.50
211/5	1.25
211/6	0.75
211/18	2.10
212/4	2.40
212/5	1.82
240/2	1.89
241	1.94
242/7	1.28
242/8	1.48
योग . .	<u>17.41</u>

जिसकी सीमाएं	(1)	(2)
उत्तर में—श्री आनन्द कुमार गुर्जर की भूमि.	212/4	2.40
दक्षिण में—श्री रामनारायण आत्मज श्री सीताराम अग्रवाल की भूमि.	212/5 240/2 241	1.82 1.89 1.94
पूर्व में—श्रीमती द्वारकाबाई एवं अन्य की भूमि.	242/7	1.28
पश्चिम में—सिराली मकरई मार्ग.	242/8	1.48
		Total. <u>17.41</u>

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

BOUNDED BY

On the North by—Land of Shri Anand Kumar Gurjar.
On the South by—Land of Shri Ramnarayan S/o Shri Sitaram Agrawal.
On the East by—Land of Smt. Dwarkabai & other.
On the West by—Sirali-Makrai Road.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-12-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared the following area including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Sirali has been established by this Department's Notification even No. dated 27th August, 2012 shall be the market yard namely:—

PLACE

An area of 17.41 Acers land of Khasra number 211/7, 211/5, 211/6, 211/18, 212/4, 212/5, 240/2, 241, 242/7, 242/8 at Gram Panchayat Sirali in Tehsil Sirali of District Harda:—

Khasra No. (1)	Area (in Acers) (2)
211/7	2.50
211/5	1.25
211/6	0.75
211/18	2.10

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त, 2012 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र सिराली जिला हरदा के निम्नलिखित क्षेत्र को मूल मंडी क्षेत्र घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) ग्राम पंचायत सिराली, तहसील सिराली, जिला हरदा की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र.
- (2) मूल मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र :—

1. रामपुरा, 2. बंदी मुहाड़िया, 3. लोलागरा, 4. जिनवान्या, 5. धनकार, 6. दीपगांव खुर्द, 7. बावड़िया, 8. भटपुरा, 9. महेन्द्रगांव, 10. घोंघड़ा खुर्द, 11. जात्राखेड़ी, 12. डगांवाशंकर, 13. रहटाकला, 14. विक्रमपुर कला, 15. काशीपुरा, 16. मालापुर, 17. गोंमगांव बली.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. डी-15-12-2012-चौदह-3.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 अगस्त 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव।

Bhopal, the 27th August 2012

No. D-15-12-2012-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declared that in the relation to the market yard *vide* this department's notification even number dated 27th August, 2012 the following area of Sirali of district Harda shall be Proper market yard:—

AREA

- (1) An area within the limit of Gram Panchayat Sirali in Tehsil Sirali of District Harda.
- (2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the Main Market yard namely:—
 1. Rampura, 2. Bandi Muhadiya, 3. Lolagara, 4. Ginwanya, 5. Dhankar, 6. Deepgaon Khurd, 7. Baavadiya, 8. Bhatpura, 9. Mahendragaoon, 10. Ghogra Khurd, 11. Jatra Khedi, 12. Dagawashankar, 13. Rahtakala, 14. Vikrampur kala, 15. Kashipura, 16. Maalapur, 17. Gomgawon Bali.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अगस्त 2012

क्र. एफ-11-9-2012-तीस.— राज्य शासन, एतद्वारा, श्री मेघराज जैन, मान. सांसद मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. एफ-11-9-2012-तीस-शुद्धि पत्र.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 8 अगस्त 2012 द्वारा श्री मेघराज जैन, मान. सांसद के स्थान पर श्री मेघराज जैन, पूर्व सांसद पढ़ा जावे।

विनोद कटेला, अवर सचिव।

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2012

क्र. एफ-11-9-2012-तीस.— राज्य शासन, एतद्वारा श्री ओम मेहता, भोपाल को मध्यप्रदेश तीर्थ एवं मेला प्राधिकरण में तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक, उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेला, अवर सचिव।

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्र. एफ-1(ए) 212-96-ब-2-दो.— श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इंदौर को दिनांक 21 अगस्त से 12 अक्टूबर 2012 तक, कुल तिरपन दिवस की चाईल्ड केयर लीव, दिनांक 18, 19, 20 अगस्त 2012 एवं 13, 14 अक्टूबर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री आर. सी. बुरा, अति. पुलिस अधीक्षक, नारकोटिक्स, इंदौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इंदौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, नारकोटिक्स, इंदौर का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहतीं.

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. एफ-1(ए)91-01-ब-2-दो.—डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल को दिनांक 10 से 22 सितम्बर 2012 तक, तेरह दिवस अर्जित अवकाश, दिनांक 8, 9 एवं 23 सितम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2010-13 के द्वितीय ब्लाक वर्ष 2012-13 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत सपरिवार “कन्याकुमारी” अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. डॉ. के. के. लोहानी, - स्वयं
2. डॉ. श्रीमती रश्मि लोहानी - पत्नी

(2) उक्त यात्रा हेतु डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे, को 10 दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

(3) उक्त अवकाश अवधि में डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल का कार्य श्री ए. के. सिंह, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल (अभियान एवं प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(4) अवकाश से लौटने पर डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, विसबल, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(6) अवकाशकाल में डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. के. के. लोहानी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्र. एफ-1(ए) 110-86-ब-2-दो.—श्री विवेक जौहरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 21 से 30 अगस्त 2012 तक, कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री विवेक जौहरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस. के. पाण्डेय, पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा, पु.मु. भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक जौहरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विवेक जौहरी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विवेक जौहरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक जौहरी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. एफ-31-3-2010-दो-ए (3).—राज्य शासन ब्रिगेडियर (से.नि.) श्री जार्ज मथाई, संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यकाल में संविदा आधार पर दिनांक 16 अगस्त 2012 से 15 फरवरी 2013 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों पर वृद्धि प्रदान करता है :—

1. सेना से सेवानिवृत्त अधिकारियों की संविदा नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि में वेतन निर्धारण, सेना से मिलने वाले अंतिम वेतन में से पेंशन, जो छठवे वेतन आयोग के पश्चात् पुनरीक्षित की गई, की राशि को घटाकर निर्धारित किया जावेगा तथा इस प्रकार वेतन एवं पेंशन मिलाकर रुपए 80,000/- (रुपए अस्सी हजार) से अधिक नहीं होगा. सेना की पेंशन पृथक् से देय होगी.
2. मंहगाई भत्ता वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-बी 8-3-81-आर-दो-चार, दिनांक 25 जून 1981 एवं समय-समय पर संशोधित आदेशों के अनुसार देय होगा.

3. दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी.
 4. शासकीय सेवकों के समान चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा अस्थायी कर्मचारियों के समान अवकाश की पात्रता होगी.
 5. यात्रा भत्ते की पात्रता राज्य के यात्रा भत्ता नियम के अन्तर्गत होगी.
 6. अधिकारी पर नियुक्ति अवधि में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 लागू होंगे.
 7. अधिकारी को नियुक्ति की अवधि में अपने कार्यालय के वित्तीय मामलों एवं आपत्तियों का निराकरण कराना होगा.
- मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भारती दशपुत्रे, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. एफ-7-27-2006-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 के अध्याधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा श्री भगवान दास धूत को विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पचमढी के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सक्सेना, उप सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

संशोधन आदेश

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2012

फा. क्र. 1(सी)-27-2006-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक दिनांक 20 अप्रैल 2012 को निरस्त करते हुये, राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार मण्डला जिले के लिए विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 4 (1) के अनुसार श्री राजीव सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को जिला दमोह में विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है.

विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु पैनल अधिवक्ताओं को कार्य चक्रानुक्रम से जिला दण्डाधिकारी द्वारा आवंटित किया जायेगा.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1 (सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस प्रभार के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

फा. क्र. 1-अ-3-03-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता, कार्यालय ग्वालियर में पदस्थ कु. नूतन सक्सेना, शासकीय अधिवक्ता जिनका कार्यकाल दिनांक 2 अगस्त 2012 तक का था, के कार्यकाल में एतद्वारा दिनांक 3 अगस्त 2012 से 15 सितम्बर 2012 तक की वृद्धि करता है.

फा. क्र. 1-अ-3-2012-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, एतद्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यप्रदेश शासन की ओर से पक्ष समर्थन करने वाले उन विधि अधिकारियों के लिये जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में वर्णित हैं उनके नाम के सम्मुख कॉलम (3) में दर्शायी गई वर्तमान रिटेनर फीस को पुनरीक्षित कर कॉलम (4) में मासिक पारिश्रमिक (रिटेनर फीस) के रूप में आदेश जारी होने के दिनांक से नियत करता है:—

		सारणी	
क्र.	पदनाम	वर्तमान निश्चित मासिक पारिश्रमिक	पुनरीक्षित निश्चित मासिक पारिश्रमिक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	महाधिवक्ता	रु. 30,000/- (रु. तीस हजार केवल)	रु. 70,000/- (रु. सत्तर हजार केवल)
2	अति. महाधिवक्ता	रु. 25,000/- (रु. पच्चीस हजार केवल)	रु. 55,000/- (रु. पचपन हजार केवल)

(1)	(2)	(3)	(4)	
3	उप महाधिवक्ता	रु. 23,000/- (रु. तेईस हजार केवल)	रु. 50,000/- (रु. पचास हजार केवल)	5. श्री भागवत प्रसाद पाण्डे, पंचम ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, रीवा, जिला रीवा.
4	शासकीय अधिवक्ता	रु. 20,000/- (रु. बीस हजार केवल)	रु. 35,000/- (रु. पैंतीस हजार केवल)	6. श्री उमेश कुमार श्रीवास्तव, तृतीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, कटनी, जिला कटनी.
5	उप शासकीय अधिवक्ता	रु. 17,000/- (रु. सत्रह हजार केवल)	रु. 30,000/- (रु. तीस हजार केवल)	7. श्री हितेन्द्र कुमार मिश्रा, चौदहवें ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, इन्दौर, जिला इन्दौर.
				8. श्री पूरनचन्द्र गुप्ता, द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, कुक्षी, जिला धार.
				9. श्री काशीनाथ सिंह, ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

उक्त व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन(114) कानूनी सलाहकार और परिषद-(3428) महाधिवक्ता, 01-वेतन-001-अधिकारियों का वेतन के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 128-36-ब-8-चार-12, दिनांक 31 जनवरी 2012 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है. अतः यह प्रशासकीय विभाग इस आदेश को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत महालेखाकार, ग्वालियर को पृष्ठांकित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल वर्मा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

फा. क्र. 3(ए) 2-2012-इक्कीस-ब(एक).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के (खण्ड) (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से मध्यप्रदेश शासन निम्नलिखित सिविल न्यायाधीशगण (वरिष्ठ श्रेणी), को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1) (ए) के अन्तर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), वेतनमान रुपये 51550—1230—58930—1380—63070, के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करता है:—

1. श्री सतीश चन्द्र राय, पन्द्रहवें ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, जबलपुर, जिला जबलपुर.
2. श्री कमल जोशी, द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, बेगमगंज, जिला रायसेन.
3. श्रीमती माया विश्वलाल, द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, शुजालपुर, जिला शाजापुर.
4. श्री चन्द्रदेव शर्मा, चतुर्थ ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, कटनी, जिला कटनी.

10. डॉ. रमेश साहू, द्वितीय ए.डी.जे. के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, ब्यावरा, जिला राजगढ़.
11. श्री विजय चन्द्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (ओ.एस.डी.) उच्च न्यायालय, संबद्ध विधिक सहायता (तदर्थ ए.डी.जे. फास्ट ट्रेक कोर्ट), जबलपुर.
12. श्री श्रीपाल यादव, ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, कोतमा, जिला अनूपपुर.
13. श्री दिलीप कुमार मित्तल, द्वितीय ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, मुंगावली, जिला अशोकनगर.
14. श्री शिवकान्त पाण्डे, चतुर्थ ए.डी.जे. एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, दमोह, जिला दमोह.
15. श्री विवेक कुमार श्रीवास्तव, षष्ठम् ए.डी.जे. के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश एवं पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रेक कोर्ट, मंदसौर, जिला मंदसौर.

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. 5006-इक्कीस-अ (स्था.).— राज्य शासन, श्री परितोष कुमार तिवारी, अवर सचिव, अनुवाद को उपसचिव (हिन्दी प्रारूपण) के पद पर पदोन्नति हेतु प्रावधानित पांच वर्ष की सेवा अवधि में शेष रही अवधि की छूट प्रदान करते हुए नीचे अंकित शर्त के अधीन उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में मुख्य प्रारूपकार एवं उपसचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बेण्ड रु. 15600—39100 ग्रेड-पे रु. 7600/- में दिनांक 1 सितम्बर 2012 से पदोन्नत करता है.

क्र. 5007-इक्कीस-अ (स्था.).— राज्य शासन श्री महेन्द्र कुमार जैन, अनुभाग अधिकारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर को नीचे अंकित शर्त के अधीन उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी

आदेश होने तक स्थानापन्न रूप में विधि विभाग, भोपाल में प्रारूपकार-सह-अवर सचिव के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रु. 15600—39100 ग्रेड-पे रु. 6600/- में दिनांक 1 जुलाई 2012 से पदोन्नत करता है.

शर्त—श्री परितोष कुमार तिवारी और श्री महेन्द्र कुमार जैन को जब भी भारत सरकार विधि मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संचालित विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण आयोजित हो, तब वे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे. कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा पदोन्नति आदेश निरस्त कर मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा.

क्र. 5008-इक्कीस-अ(स्था.).—राज्य शासन, श्रीमती रजनी पंचोली, निजी सचिव को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में स्टाफ आफिसर के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रु. 15600—39100 ग्रेड-पे रु. 6600/- में दिनांक 1 सितम्बर 2012 से पदोन्नत करता है.

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों, आदेशों एवं नियमों का पालन किया गया है.”

क्र. 5010-इक्कीस-अ(स्था.).—राज्य शासन, श्री एन. के. शुक्ला, सहायक ग्रेड-1 को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर में अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रु. 9300—34800+ग्रेड पे रु. 4200/- में दिनांक 1 जुलाई 2012 से पदोन्नत करता है.

क्र. 5011-इक्कीस-अ(स्था.).—राज्य शासन, श्रीमती शोभा गोगटे, सहायक ग्रेड-1 को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रु. 9300—34800+ग्रेड पे रु. 4200/- में दिनांक 1 जुलाई 2012 से पदोन्नत करता है.

क्र. 5012-इक्कीस-अ(स्था.).—राज्य शासन, श्री जेड. आर. खान, निज सहायक, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप से महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर में निजी सचिव (द्वितीय श्रेणी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रु. 9300—34800+ग्रेड पे रु. 4200/- में दिनांक 1 जुलाई 2012 से पदोन्नत करता है.

क्र. 5013-इक्कीस-अ(स्था.).—राज्य शासन, श्री आर. के. सिंह, निज सहायक, (अंग्रेजी बेकग्राउंड) महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप में विधि विभाग, भोपाल में निजी सचिव (द्वितीय श्रेणी) के पद पर

पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रु. 9300—34800+ग्रेड पे रु. 4200/- में दिनांक 1 सितम्बर 2012 से पदोन्नत करता है.

“प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों के संबंध में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों, आदेशों का पालन किया गया है.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. 287-2012-आनीविइ-चार.—मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 4 में, उपनियम (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“(घ) जी.एस.डी.पी. की प्रतिशतता के रूप में कुल परादेय ऋण.”;

(2) प्ररूप-एफ-2 में, शीर्षक “क. राजकोषीय सूचक-चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)” में कालम (1) में अनुक्रमांक (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित टिप्पण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

“4” सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रतिशतता के अनुसार कुल परादेय ऋण.

टिप्पणी.—“राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिये कुल परादेय ऋण उक्त वर्ष के लिये प्राक्कलित जी.एस.डी.पी. के क्रमशः 37.6 प्रतिशत, 36.8 प्रतिशत 36.0 प्रतिशत तथा 35.3 प्रतिशत से अधिक नहीं हो.”

यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा.

No. 287-2012-EPAU-IV.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 12 of the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam Budget Prabandhan Adhiniyam, 2005 (No. 18 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Rajkoshiya Uttardayitva Avam

Budget Prabandhan Sanshodhan Niyam, 2006.
namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In rule 4, in sub-rule (1), for clause (c), the following clause shall be added, namely:—
“(d) outstanding total debt as a percentage of GSDP.”;
- (2) In Form F-2, under the heading Fiscal Indicators-Rolling Targets, in column (1), after serial number 3, the following serial number and note relating thereto shall be added, namely:—

“4. Outstanding total debt as a percentage of GSDP.

Note.—“The State Government shall ensure that total outstanding debt do not exceed 37.6 percent, 36.8 percent, 36.0 and 35.3 percent for the financial year 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 respectively of the estimated GSDP for that year.”.

This amendment will come into force with effect from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्र. एफ-1-1-2012-सात-6.—मध्यप्रदेश, भू-राजस्व संहिता, 1959 (1959 का क्रमांक 20) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में, इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की उपधारा (1), उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य शासन एक नवीन तहसील, जिला विदिशा सृजित करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित किये गये अनुसार वर्तमान तहसील कुरवाई, जिला विदिशा की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शायी तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय से उसकी स्थापना करने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार नवीन तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है.

(2) इस प्रस्ताव पर “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर विचार किया जावेगा और इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव उक्त कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित में भेजे जा सकेंगे:—

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का प्रकार	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पठारी	पठारी	कुरवाई	वर्तमान तहसील कुरवाई के राजस्व निरीक्षक मण्डल पठारी के पटवारी हल्के नम्बर 55 एवं 57 लगायत 76 कुल 21 पटवारी हल्के जिनमें 67 ग्राम होंगे.	पूर्व में—तहसील खुरई, जिला सागर पश्चिम में—तहसील कुरवाई. उत्तर में—तहसील बीना, जिला सागर. दक्षिण में—तहसील बासोदा.
2.	कुरवाई	कुरवाई	कुरवाई	परिवर्तन का प्रकार	सीमाएं
			वर्तमान तहसील कुरवाई के रा.नि.मं. कुरवाई के प.ह.ह.नं. 1 लगायत 31, 35, 37 से 41, 43, 44 कुल 39 पटवारी हल्कों के 111 ग्राम तथा राजस्व निरीक्षक मण्डल पठारी के पटवारी हल्का नं. 32, 33, 34, 36, 42, 45 से लगायत 54 एवं 56 कुल 16 पटवारी हल्कों के 48 ग्राम, इस प्रकार कुल 55 पटवारी हल्के एवं 159 ग्राम होंगे.		पूर्व में—तहसील बीना, जिला सागर. पश्चिम में—तहसील सिरोंज उत्तर में—तहसील मुंगावली, जिला अशोकनगर दक्षिण में—तहसील बासोदा.

प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सकें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आर. सी. वी.पी.नरोन्हा प्रशासन अकादमी,
मध्यप्रदेश, भोपाल
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. 6650-2205-अका-विपप्र-2012.—राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह 2012 को प्रश्न-पत्र दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया द्वितीय (पुस्तकों सहित) सम्पन्न हुआ था, जो कि सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के अधिकारियों के लिये रहता है कि अधिसूचना क्रमांक 4656-2205-अका-विपप्र-2012, दिनांक 11 जून 2012 को जारी की गई थी, में उज्जैन संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री विनोद कुमार शर्मा, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख अंकित है, के स्थान पर अब श्री विवेक कुमार शर्मा, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग श्रीवास्तव, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

वित्त विभाग

(आर्थिक नीति एवं विश्लेषण इकाई)
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. एफ-11-02-2012-आनीविइ-चार.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक 3-06-2012-एक(1), दिनांक 6 जून 2012 के द्वारा डॉ. ढालसिंह बिसेन, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है.

2. राज्य शासन, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को देय वेतन भत्तों एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जारी आदेश क्रमांक 237-एफ-11-02-2012-आनीविइ-चार, दिनांक 11 जुलाई 2012 निरस्त करते हुए अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:—

क. राज्य शासन, एतद्द्वारा अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को देय सुविधाएं एवं परिलब्धियां मध्यप्रदेश, राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 8 द्वारा मध्यप्रदेश, राज्य वित्त आयोग (वेतन तथा भत्ता) नियम, 1994 के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्धारित करता है:—

(1) वेतन भत्ता—

विवरण	दर
(i) वेतन	27,000/-
(ii) सत्कार भत्ता	30,000/-
(iii) दैनिक भत्ता:—अ. राज्य के भीतर	1200/-
ब. राज्य के बाहर	1500/-

ख. उपरोक्त के अलावा आवास सुविधा, विद्युत् व्यय (मासिक), पानी पर व्यय, वाहन एवं वाहन चालक, ईंधन, चिकित्सा सुविधाएं, यात्रा सुविधा, यात्रा के दौरान दैनिक भत्ता, व्यक्तिगत स्टाफ, गार्ड सुविधा, दूरभाष, आयकर तथा अन्य सुविधाएं यथा सर्किट हाऊस/रेस्ट हाऊस इत्यादि मंत्री के समान प्राप्त होंगी.

ग. उपरोक्त प्रावधान डॉ. ढालसिंह बिसेन, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग को कार्यभार ग्रहण के दिनांक अर्थात् दिनांक 15 फरवरी 2012 से देय होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी, आयुक्त बजट.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

क्र. 6830-जि.भू-अर्जन/2012

सिवनी, दिनांक 28 अगस्त 2012

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का क्रमांक-1) की धारा 41 के अन्तर्गत

अनुबंध-पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक 11-अ-82/2010-11

यह अनुबंध-पत्र प्रथम पक्ष के रूप में मध्यप्रदेश के राज्यपाल जिनकी ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग कार्य कर रहे हैं, (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "राज्यपाल" कहा गया है जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत जब तक संदर्भ

से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके पद उत्तरवर्ती और समनुदेशित भी सम्मिलित हैं) तथा द्वितीय पक्ष के रूप में मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड ग्राम बरेला तह. घंसौर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "कंपनी" कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति के अन्तर्गत जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो उनके विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक, पद उत्तरवादी और समनुदेशित भी सम्मिलित हैं. जिसकी ओर से मुख्यालय—

श्री संजीव मेंदीरत्ता, डायरेक्टर जो मेसर्स झाबुआ पॉवर लिमिटेड ग्राम बरेला, तह. घंसौर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश में कार्य कर रहे हैं, के मध्य आज दिनांक 10-8-12 को सम्पादित किया जा रहा है.

- (1) कंपनी ने मध्यप्रदेश शासन को (जिसे आगे राज्य शासन कहा गया है) मेसर्स झाबुआ पॉवर प्लांट की रेलवे साईडिंग के निर्माण के कारण प्रभावित होने से ग्राम बिनिकीकला, प.ह.नं. 12, तहसील घंसौर, जिला सिवनी के अन्तर्गत निजी अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि कुल सर्वे नंबर संख्या 5 कुल क्षेत्रफल 3.77 हे. भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां के भू-अर्जन हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन-पत्र माननीय कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला सिवनी के कार्यालय में पेश किया है, जिसका विवरण निम्नानुसार परिशिष्ट-1 पर अंकित किया गया है:—

परिशिष्ट—1

अनुसूचित जनजाति की कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम बिनिकीकला

अनु. क्र.	ग्राम का नाम	नाम भूमिस्वामी / पिता का नाम एवं जाति	भूमि खसरा नंबर	कुल रकबा	अधिग्रहण हेतु प्रस्ता. रकबा	सम्पत्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बिनिकीकला	लीलाबाई पति स्व. श्री जीतू सन्तोष ताराबाई, तुलसी, संगीता बाई पिता स्व. श्री जीत, जाति गौंड.	73/1	1.00	1.00	कुआं पक्का 1, एक पक्का मकान
2	बिनिकीकला	खेतु पिता सीम्मु गौंड	73/2	0.30	0.30	निरंक
3	बिनिकीकला	घनश्याम पिता मनीराम बैगा	73/3	0.40	0.40	निरंक
4	बिनिकीकला	खेतु पिता सीम्मु गौंड	74	1.20	1.20	1 बोर
5	बिनिकीकला	रामचरण पिता चुमका गौंड	177	0.87	0.87	निरंक
योग		5 खातेदार	5	3.77	3.77	

- राज्य शासन के अनुसार आवश्यक एवं निर्धारित प्रक्रिया से जांच कर इस बात की संतुष्टि कर ली है कि उक्त विद्युत परियोजना राज्य में विद्युत की कमी की पूर्ति हेतु और क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है.
- कंपनी के भू-अर्जन आवेदन-पत्र के आधार पर राज्य शासन द्वारा दिनांक 24 जनवरी 1996 को संपन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 2504/1820/2011/सात/2ए, भोपाल, दिनांक 13/6/2011 के निर्देशानुसार भू-अर्जन की शर्त का इस अनुबंध-पत्र में समावेश किया गया है.
- कंपनी को प्रस्तावित अनुमति की शर्त के पालन में कंपनी को राज्यपाल के साथ भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के अन्तर्गत विहित प्रावधान अनुसार अनुबंध निष्पादित करना है. कंपनी की ओर से सहमत होकर यह अनुबंध-पत्र निष्पादित किया जाता है.

कंपनी निम्न प्रकार सहमत होकर घोषणा करती है कि—

- कंपनी राज्य शासन को अथवा राज्य शासन के द्वारा इस हेतु नियुक्त व्यक्ति को ऐसी समस्त राशि का अग्रिम भुगतान करेगी जो भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अन्तर्गत अवार्ड की राशि जो उक्त भूमि पर स्वत्वधारी व्यक्तियों को मुआवजे के रूप में भुगतान योग्य होगी.
- कंपनी राज्य शासन को ऐसे सभी प्रभारों (खर्च) का भुगतान भी करेगी जो अधिनियम के अनुसार उक्त भूमि के भू-अर्जन कार्य से युक्तिसंगत संबंधित होगा.

- (ग) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में वर्णित समस्त भुगतानों के बाद ही राज्यपाल परिशिष्ट 1, में वर्णित अनुसूचित जनजाति की निजी कृषि भूमि तथा उस पर स्थित संरचनाएं/परिसंपत्तियां कंपनी को प्रदान करेगा—
- (i) झाबुआ पॉवर प्लांट के निर्माण से प्रभावित ग्राम बिनेकीकला की अनुसूचित जनजाति की निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाओं के प्रस्तुत अर्जन प्रस्ताव पर दिनांक 24 जनवरी 1996 को सम्पन्न भू-अर्जन समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार तहसील घंसौर, जिला सिवनी के ग्राम बिनेकीकला की अनुसूचित जनजाति की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 3.77 हेक्टर तथा उस पर स्थित संरचनाओं के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान अंतर्गत निम्न शर्तों पर भू-अर्जन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जावेगी.
1. कंपनी (इस आशय के करारनामे या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
 2. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
 3. संबंधित कंपनी के लिये भू-अर्जन किये जाने संबंधी कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के आधार पर किया जावे.
 4. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा म.प्र. पुनर्वास नीति के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जावेगी.
 5. कंपनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्त आदि लागू करने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करेंगे.
 6. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था को जैसे नगर निगम, नगर तथा ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं, कलेक्टर आदि से प्राप्त करना होंगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जावेगा.
 7. अर्जित की गयी निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
 8. भूमि जिस उपयोग के लिये अर्जन की जा रही है वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जावेगा.
 9. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
 10. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए, भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
 11. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें शासन को कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
 12. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नींव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज एवं गौण खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
 13. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
 14. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जायेगा.
 15. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मंडल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
 16. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवनों, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.

17. भूमि या उसके किसी भी या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लेखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जावेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जावेगा.
 18. भूमि जिस प्रयोजन हेतु दी गई हो उससे भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग किये जाने से अनाधिकृत कब्जा मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी.
 19. शासन के प्रतिनिधि या कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन की दृष्टि से कभी भी भूमि पर निर्मित भवन आदि तथा परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा.
 20. स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर सार्वजनिक हित में राज्य शासन या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पालन किये जाने के लिए कंपनी बाध्य होगी.
- (ii) भू-अर्जन कार्यवाही से पूर्व यह भी देख लिया जावे कि यदि किसी अधिसूचित क्षेत्र के ग्रामों में निजी भूमि अर्जित की जा रही है तो ग्राम सभा की बैठक नियमानुसार की जाकर एवं ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् ही यह अनुमति प्रभावशील होगी. इसके ही इस परिस्थिति में वैकल्पिक भूमि क्रय कर देने की कार्यवाही की जायेगी.
- (iii) भू-अर्जन कार्यवाही प्रारंभ करने के पूर्व यह भी देख लिया जाये कि प्रस्तावित परियोजना में वनअभ्यारण्य क्षेत्र (सेन्च्युरी) का कोई हिस्सा तो नहीं आ रहा है. यदि ऐसा होता है तो उस हेतु विधि द्वारा स्थापित सक्षम अनुमति ली जाना होगी.
- (iv) कंपनी से भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के प्रावधानों के अनुसार करारनामा निष्पादित कराया जाये, जिसमें उपरोक्त शर्तों का भी समावेश किया जावे.
- (v) भू-अर्जन की प्रक्रिया एवं अन्य कार्यवाहियों बाबद् शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये.

दो साक्षियों की उपस्थिति में पक्ष क्र.-1 राज्य शासन की ओर से कलेक्टर, जिला सिवनी एवं पक्ष क्र.-2 की ओर से श्री संजीव मेदीरत्ता, डायरेक्टर झाबुआ पावर लिमिटेड, जिला सिवनी द्वारा हस्ताक्षरित कर यह अनुबंध-पत्र साक्षियों के समक्ष लिखित हस्ताक्षरित एवं निष्पादित किया गया है.

साक्षियों के हस्ताक्षर

(पूरा नाम, पिता का नाम एवं पूरा पता)

साक्षी क्र.-1

हस्ता./-

नाम : खेतुलाल आत्मज सिम्मू

पता : ग्राम बिनेकीकलां

तह. घंसौर जिला सिवनी म. प्र.

(परिचय पत्र नं. एमएक्सजी 1834571)

साक्षी क्र.-2

हस्ता./-

नाम : प्रमोदकुमार यादव

आत्मज कामता प्रसाद यादव

पता : ग्राम बिनेकीकलां

तह. घंसौर जिला सिवनी म. प्र.

(परिचय पत्र नं. एमपी/24/210/195401)

पक्ष क्रमांक-1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(अजीत कुमार)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,
जिला-सिवनी (म. प्र.).

पक्ष क्रमांक-2

हस्ता./-

(संजीव मेदीरत्ता)

डायरेक्टर
मेसर्स, झाबुआ पावर लिमि.,
जिला सिवनी (म. प्र.)

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय,
मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2012

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-1-3-12-रा.स.-यू.ए. 1-1407.—राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 26 की उपधारा (2) के तहत इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-3-12-रा.स.-यू.ए.1-933, दिनांक 23 जून 2012 के द्वारा राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. उक्त समिति में डॉ. सुशांत दत्तागुप्ता (कुलाध्यक्ष महोदय द्वारा नामांकित एवं समिति के अध्यक्ष), प्रो. देबू चौधरी (अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित) एवं श्री कामतानाथ वैशम्पायन (राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यपरिषद द्वारा निर्वाचित) सदस्य शामिल थे. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित सदस्य प्रो. देबू चौधरी के द्वारा चिकित्सा आधार पर असमर्थता व्यक्त की गई है.

2. अतः, प्रो. देबू चौधरी के स्थान पर अन्य महानुभाव को समिति में सदस्य नामांकित करने हेतु अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया गया था. तदनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक एफ. 13-2-2012-(सी.पी.पी. II) दिनांक 22 अगस्त 2012 के परिप्रेक्ष्य में प्रो. देबू चौधरी के स्थान पर प्रो. पी. एन. सुरेश, कुलपति, केरला कलामण्डलम, वल्लाथोल नगर, चेरुथुर्थी पो. आ., थ्रिशूर-679531 (केरल) को उक्त समिति में सदस्य नामांकित किया जाता है. समिति में नामांकित अन्य सदस्य यथावत समिति के सदस्य रहेंगे.

3. चूंकि उपरोक्त स्थिति के परिणामस्वरूप छः सप्ताह की निर्धारित समयावधि में समिति से कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल प्राप्त नहीं हो सका है. अतः राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 26 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष महोदय द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिए इस संशोधित अधिसूचना के जारी होने की दिनांक से 4 सप्ताह का समय प्रदान किया जाता है.

कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला
विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
विनोद सेमवाल, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग

भोपाल, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्र. 308-003-2004.—मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल के आदेश क्र. 308-003-2004, दिनांक 21 अक्टूबर 2004 द्वारा जारी स्वतंत्र जिला फोरमों के अध्यक्षों को वर्तमान प्रभार के अतिरिक्त अंशकालीक जिला फोरमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

1. उक्त आदेश के क्रमांक-19 में वर्णित अध्यक्ष जिला फोरम शिवपुरी को सम्बद्ध जिला फोरम श्योपुर का अतिरिक्त प्रभार समाप्त करते हुये जिला फोरम मुरैना के अध्यक्ष को वर्तमान प्रभार के साथ-साथ जिला फोरम, श्योपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. तदनुसार जिला फोरम श्योपुर अब जिला फोरम मुरैना से सम्बद्ध रहेगा.
2. उक्त आदेश के क्रमांक-14 में वर्णित अध्यक्ष जिला फोरम सतना को सम्बद्ध जिला फोरम पन्ना का अतिरिक्त प्रभार समाप्त करते हुए जिला फोरम दमोह के अध्यक्ष को वर्तमान प्रभार के साथ-साथ जिला फोरम, पन्ना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. तदनुसार जिला फोरम पन्ना अब जिला फोरम दमोह से सम्बद्ध रहेगा.
3. इस कार्यालय के आदेश क्र. 301-001-2004, दिनांक 18 जुलाई 2008 द्वारा अध्यक्ष जिला फोरम जबलपुर को वर्तमान प्रभार के साथ-साथ जिला फोरम, नरसिंहपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपने संबंधी आदेश तत्काल प्रभार से निरस्त किया जाकर उक्त आदेश क्र. 308-003-2004, दिनांक 21 अक्टूबर 2004 के क्रमांक-16 में वर्णित अनुसार अध्यक्ष जिला फोरम छिन्दवाड़ा को वर्तमान प्रभार के साथ-साथ पूर्ववत् जिला फोरम नरसिंहपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है. तदनुसार जिला फोरम नरसिंहपुर अब जिला फोरम छिन्दवाड़ा से सम्बद्ध रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य आयोग के आदेशानुसार,
जी. के. शर्मा, रजिस्ट्रार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 17 अगस्त 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बाँई	5.655	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा सिंचाई परियोजना की बगवाडा वितरिका की नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	हमीदगंज	1.146	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा सिंचाई परियोजना की बगवाडा वितरिका की नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 3-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बाँकोट	1.069	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा सिंचाई परियोजना की बगवाडा वितरिका की नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बोरखेडाखुर्द	5.511	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा सिंचाई परियोजना की बगवाडा वितरिका की नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	वासुदेव	6.637	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	घोघरा सिंचाई परियोजना की बगवाडा वितरिका की नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 12-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	इटावाकला	4.852	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बगवाडा वितरिका की नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 13-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बगवाडा	4.062	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	बगवाडा वितरिका की नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 14-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	चीचली	5.857	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	गोपालपुर वितरिका की नहर हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

(3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 15-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	मुहई	3.970	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	गोपालपुर वितरिका की नहर हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 16-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	कुमनताल	4.580	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	गोपालपुर वितरिका की नहर हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

प्र. क्र. 17-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई समस्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीहोर	नसरुल्लागंज	बोरखेडाखुर्द	1.622	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सीहोर.	गोपालपुर वितरिका की नहर हेतु.

- (2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) उपरोक्त के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई आपत्ति हो तो वह 30 दिवस के भीतर अ. वि. अ. कार्यालय, नसरुल्लागंज में प्रस्तुत कर सकेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र क्रियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 21 अगस्त 2012

प्र. क्र. 33-अ-82-11-12-नस्ती क्र. 76-2012-एल.ए.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	पुनासा	3.747	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	मूंदी-सुलगांव-सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 34-अ-82-11-12-नस्ती क्र. 78-2012-एल.ए.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	दौलतपुरा	0.060	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	मूंदी-सुलगांव-सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 35-अ-82-11-12-नस्ती क्र. 77-2012-एल.ए.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) तथा उपधारा (4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	उदयपुर	3.141	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर.	मूंदी-सुलगांव-सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा/संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि., इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 22 अगस्त 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	रसूलपुर	0.060	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बर्घरू मध्यम जलाशय परियोजना की बांयीं मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिगृहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—बर्घरू मध्यम परियोजना की बांयीं मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	रसूलपुर	0.207	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बर्घरू मध्यम जलाशय परियोजना की दांयीं मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिगृहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—बर्घरू मध्यम परियोजना की दांयीं मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	खामखेड़ा	0.440	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बर्धरू मध्यम जलाशय परियोजना की दांयी मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिगृहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बर्धरू मध्यम परियोजना की दांयी मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	कजरई	0.209	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बर्धरू मध्यम जलाशय परियोजना की दांयी मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिगृहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बर्धरू मध्यम परियोजना की दांयी मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	मड़देवरा	0.286	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बर्धरू मध्यम जलाशय परियोजना की बांयी मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिगृहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—बर्धरू मध्यम परियोजना की बांयी मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	बिजौरा	0.312	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बर्घरू मध्यम जलाशय परियोजना की बांयीं मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिगृहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बर्घरू मध्यम परियोजना की बांयीं मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2011-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 (2)के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	त्योंदा	मुड़ैना	0.764	भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा	बर्घरू मध्यम जलाशय परियोजना की बांयीं मुख्य नहर हेतु शेष रही भूमि का अधिगृहण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बर्घरू मध्यम परियोजना की बांयीं मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. 12- अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	रायपुरसानी	2.03	कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर संभाग, क्र. 9, जिला दतिया. (म. प्र.).	बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत, कासनानाला (तालाब) की नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 13- अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	दतिया	सुमावली	0.72	कार्यपालन यंत्री, राजघाट नहर संभाग, क्र. 9, जिला दतिया. (म. प्र.).	बुंदेलखण्ड पैकेज से लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत, कासनानाला (तालाब) की नहर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. कबीरपंथी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. 12218-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	डोंगला	0.501	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार.	डोंगल्यापानी तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 12223-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	सुलीबर्डी कुवाड	1.000 0.090	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार.	किसान तालाब योजना की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 12228-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	उमरबनखुर्द	1.127	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार.	ढेकली (मोहाड़पुरा) तालाब की नहर निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 12233-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	खोड़ीमोली	7.280	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार.	ढेकली (मोहाड़पुरा) तालाब के बांध निर्माण से प्रभावित होने से.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 अगस्त 2012

प्र. क्र. 215-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	सिरी	निजी-3.847 एवं शासकीय भूमि रकबा-0.437 कुल रकबा-4.284.	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विभाग निगम, सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अंतर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 216-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	हिनोती	निजी-1.521 एवं शासकीय भूमि रकबा . . 0.758 कुल रकबा . . 2.279.	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विभाग निगम, सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अंतर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 217-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	अमानगंज पतारा	निजी-7.773 एवं शासकीय भूमि रकबा- 0.948 कुल रकबा- <u>8.721</u>	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विभाग निगम, सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अंतर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 218-अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अमानगंज	पिपरवाह	निजी-2.921 एवं शासकीय भूमि रकबा-0.000 कुल रकबा- <u>2.921</u>	संभागीय प्रबंधक म. प्र. सड़क विभाग निगम, सागर.	पन्ना-अमानगंज-सिमरिया मार्ग योजना अंतर्गत अमानगंज बायपास निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विभाग निगम, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्र. 9088-89-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	टोंका	78.044	कार्यपालन यंत्री,	टोंका तालाब के डूब क्षेत्र के
		योग . .	78.044	जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़	निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9090-91-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	राजगढ़	टोंका	7.877	कार्यपालन यंत्री,	टोंका तालाब के स्पिल चैनल
		नेठाठारी	1.334	जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़	एवं नहर निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		योग . .	9.211		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 9092-93-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	ब्यावरा	पालाबे	19.874	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़	पालाबे तालाब के डूब क्षेत्र एवं स्पल चैनल के निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन.
		जगन्यापुरा	0.550		
		योग . .	<u>20.424</u>		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्र. 2458-भू-अर्जन-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम-4 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सोहास	0.240	कार्यपालन यंत्री, बाण सागर वितरिका नहर संभाग रीवा, मध्यप्रदेश.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत आने वाली पुरवा नहर की क्रसिंग में आनेवाली टावर लाइन के टावर इरेक्सन हेतु भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>0.240</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2460-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	मझियार	1.320	कार्यपालन यंत्री, वितरिका नहर संभाग, जिला रीवा, मध्यप्रदेश.	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत मझियार माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. 2476-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	भितरी	2.52	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिंहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	डिठौरा सब माईनर नहर निर्माण हेतु.

क्र. 2478-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	वगेरी	0.81	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	सिहावल नहर प्रणाली के अंतर्गत सिहावल वितरक क्रमांक 2 की परसौना टेल माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2480-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	वहेरा	0.06	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	सिहावल नहर प्रणाली के अंतर्गत सिहावल वितरक क्रमांक 2 की पहाड़ी सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2482-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	चक्र तेंदुआ	0.73	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	सिहावल नहर प्रणाली के अंतर्गत सिहावल वितरक क्रमांक 2 की पहाड़ी सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2484-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	घुघुटा	3.12	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल नहर प्रणाली की घुघुटा सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2486-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	कोष्टा कोठार	1.37	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	बाणसागर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2488-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	बड़ोखर	0.91	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल, नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म.प्र.)	बाणसागर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2490-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा (4) की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	रामपुर नैकिन	सजहा	2.35	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	घुघटा सब-माईनर नहर निर्माण हेतु.

क्र. 2496-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	कडियार	1.38	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	सिहावल नहर प्रणाली के अंतर्गत सिहावल वितरक क्रमांक 2 की डिहुली सब- माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2498-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	टीकर नं. 4	1.38	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	सिहावल नहर प्रणाली के अंतर्गत सिहावल वितरक क्रमांक 2 की डिहुली सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2500-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	डिहुली खास	1.11	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	सिहावल नहर प्रणाली के अंतर्गत सिहावल वितरक क्रमांक 2 की डिहुली सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2510-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	चुरहट	पचोखर	0.08	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर सिहावल के अंतर्गत नहर निर्माण में आने वाले ग्रामों के निजी भूमि के लिए भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2518-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	सेवडा आवाद	0.99	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	सिहावल नहर प्रणाली के अंतर्गत सिहावल वितरक क्रमांक 2 की परसौना टेल माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2520-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	परसौनाकला	1.50	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	सिहावल नहर प्रणाली के अंतर्गत सिहावल वितरक क्रमांक 2 की परसौना टेल माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2522-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	बघोर	0.40	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की बघोर सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2524-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	केशौली	4.19	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की बघोर सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2526-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	मेढौली	1.76	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अंतर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2 की बघोर सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 2528-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सीधी	सिहावल	पहाड़ी	5.15	कार्यपालन यंत्री, लोवर सिहावल नहर संभाग चुरहट, जिला सीधी (म. प्र.).	सिहावल नहर प्रणाली के अंतर्गत सिहावल वितरक क्रमांक 2 की पहाड़ी सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. प्र. भू.-अर्जन-6632-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (1) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	हिलगन	86	64.44	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म. प्र.).	हिलगन जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है:—हिलगन जलाशय योजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू.-अर्जन-6633-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (1) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)	(6)	(7)
सागर	सागर	बेलईमाफी (शेखपुर)	140	86.31	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म. प्र.).	हिलगन जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है:—हिलगन जलाशय योजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. प्र. भू.-अर्जन-6634-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा (1) उपधारा में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	कुल ख. नं.	कुल रकबा (हे. में)	(6)	(7)
सागर	सागर	चंद्रपुरा	8	14.40	कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर (म. प्र.).	हिलगन जलाशय योजना के अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है:—हिलगन जलाशय योजना अंतर्गत डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 अगस्त 2011

प्र. क्र. 1230-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चन्दला	परसनिया	2.970	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंडी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की परसनिया माईनर हेतु भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की परसनिया माईनर हेतु भूमि का अर्जन.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लौंडी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 22 अगस्त 2012

क्र. 1416-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 32-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	सेंधवा	पिपल्याडेब	9.022 योग . . 9.022	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी.	कमोदवाड़ा तालाब की नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1417-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 33-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	सेंधवा	कोलखेड़ा	4.421	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	कमोदवाड़ा तालाब की नहर
		योग . .	<u>4.421</u>	संभाग-बड़वानी.	निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1418-भू-अर्जन-2012-प्र. क्र. 34-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बड़वानी	सेंधवा	झापड़ीपाडला	9.914	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	कमोदवाड़ा तालाब की नहर
		योग . .	<u>9.914</u>	संभाग-बड़वानी.	निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला-बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग-बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन अनुभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2012

क्र. 2580-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	शिवपुरवा 601	4.940	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत शिवपुरवा शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2582-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	सथिहा	0.39	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांती शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2584-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	हर्दी	4.80	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2586-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	नारायणपुर	1.032	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2588-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	गांजर	2.208	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2590-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	मुसउआ	0.720	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2592-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	उमरी	1.720	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2594-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पडेरुआ	11.427	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा शाखा एवं उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2596-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त

भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	हरदुआ	1.608	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2598-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	अमिरती	3.960	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2600-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बडगाँव	3.720	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा शाखा एवं उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2602-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	धांधी पवाई	0.912	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2604-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	धांधी	2.07	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरती शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2606-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बगदरी	4.230	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा शाखा एवं उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2608-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	करौंदी	5.853	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा उप शाखा एवं अमिरिती शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2610-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बौलिहा	0.710	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत अमिरिती शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2612-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	महाडांडी	4.20	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत महाडांडी शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2614-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	बेला	4.428	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत बघमरा शाखा एवं उप शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2616-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	सहिजना	4.320	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत सहिजना शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2618-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण		धारा 4 (2) के अन्तर्गत		सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	शिवपुरवा 603	2.100	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.स. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत शिवपुरवा शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2620-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	पांती	10.11	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पांती शाखा नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2624-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	वेला	0.044	कार्यपालन यंत्री, भू-अर्जन एवं पु.सं. क्र. 2, मु. गोविन्दगढ़.	गुढ़-मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है.

क्र. 2630-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूचित के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होगा कार्यों की उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	गुढ़	लखइया	0.009	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत क्योटी मुख्य नहर के कनौजा माइनर नं. 2 की सब-माइनर के निर्माण में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2634-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूचित के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर सतना	डगडीहा कोठार	17.10	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आनेवाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>17.10</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2636-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	जैतवारा	कुबरी कोठार.	3.50	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>3.50</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2638-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर सतना.	कुंआ कोठार.	19.75	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>19.75</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2640-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूचित के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर सतना.	अकौना	3.80	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>3.80</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2642-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर सतना.	बारी खुर्द.	2.20	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>2.20</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2644-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी

निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	जैतवारा	मेहुती	4.50	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>4.50</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2646-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर सतना.	सेमरा कोठार.	4.00	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	<u>4.00</u>		

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2648-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम

की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर सतना.	सेहास कोठार.	15.20	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
योग . .			<u>15.20</u>		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2650-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रामपुर बघेलान	कोटर कोठार.	3.80	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
योग . .			<u>3.80</u>		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2652-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर सतना.	कोटर कोठार.	4.45	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग, रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा नहर की शाखा और उप शाखा नहरों की सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
योग . .			<u>4.45</u>		

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 1 सितम्बर 2012

क्र. 880-भू-अर्जन-2012.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	ककवाड़ा	19.652	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 879-भू-अर्जन-2012.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	महेश्वर	सेल	15.727	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर.	ओंकारेश्वर उद्वहन नहर परियोजना (चतुर्थ चरण) के मुख्य नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, खरगोन, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-20, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 जुलाई 2012

क्र. 5748-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—रेंगाझोली, प. ह. नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.40 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
79/254	2.40

योग : 2.40

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना मुख्य शीर्ष (बांध) हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

सागर, दिनांक 14 अगस्त 2012

क्र. भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली

- (ग) ग्राम—उमरिया, प. ह. नं. 31
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.58 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
142/1	0.88
142/2	0.57
144/1	0.40
144/2	1.17
145/1	0.05
145/2	0.87
147/1	0.43
147/2	0.46
147/3	1.37
147/4	0.16
147/5	0.22
योग : <u>6.58</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना मुख्य शीर्ष (बांध) हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—भौंहारा, प. ह. नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.00 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
164/3	2.00
164/4	2.10
165	7.36

(1)	(2)
169	0.40
170/1	1.76
170/2	1.77
158/2	1.61
योग :	<u>17.00</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना मुख्य शीर्ष (बांध) हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—रमगढ़ा, प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.00 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
262	2.00
योग :	<u>2.00</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना मुख्य शीर्ष (बांध) हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 8 अगस्त 2012

प्र. क्र. 38-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बहांगीकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.62 हेक्टेयर.

खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
676	0.16	0.15
675	0.16	0.05
696	0.44	0.06
738	0.44	0.01
668	0.32	0.04
669	0.32	0.03
672	0.26	0.13
674	0.61	0.34
596	0.31	0.02
602	0.42	0.16
603	0.42	0.02
656	0.45	0.01
664	2.30	0.47
670	0.44	0.02
654	0.84	0.22
103	1.09	0.27
104	0.87	0.18
105	0.87	0.16
111	0.84	0.36
112	0.84	0.33
255	0.02	0.02

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)
259	0.16	0.04	36	0.045
260	0.05	0.01	18	0.173
264	0.42	0.22	29/2	0.160
258	2.77	0.70	39/2	0.070
678	0.26	0.11	40	0.038
263	0.07	0.01	163/2	0.096
99	1.10	0.26	45/1	0.013
655	0.47	0.22	45/2	0.016
	योग :	<u>4.62</u>	45/3	0.008
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर की शाखा उदयपुरा उपशाखा रसीदपुरा के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.		45/4	0.008
			128/2	0.134
			185/2	0.166
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.		183/1	0.016
			177/1	0.096
			126	0.160
	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,		125/1	0.096
	पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		135	0.013
			136	0.064
कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं			125/2	0.038
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग			139/2	0.140
			140/3	0.035
शाजापुर, दिनांक 14 अगस्त 2012			188	0.104
			187	0.062
प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12-क्र.भू-अर्जन-264.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—			185/1	0.038
			183/2	0.077
			177/2	0.077
			186	0.029
			279	0.371
			287	0.192
			290	0.048
(1) भूमि का वर्णन—			291	0.192
(क) जिला—शाजापुर			288	0.026
(ख) तहसील—बड़ौद			140/2	0.010
(ग) ग्राम—गरबड़ा			141/2	0.029
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 3.993 हेक्टर.			142	0.010
			143	0.024
खसरा सर्वे क्र.	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है		173	0.022
	(हे. में)		148	0.030
(1)	(2)		172	0.053
	निजी भूमि		171	0.058
34/1	0.001		166	0.038
34/2	0.083		170	0.034
35	0.054			

(1)	(2)	(1)	(2)
18/2	0.043	373	0.036
18/3	0.038	374	0.028
18/4	0.048	375	0.003
18/5	0.053	391	0.005
33/2	0.096	392	0.001
95/1	0.101	393	0.241
96/1	0.082		योग : 0.675
34/2	0.003		
106	0.187		
94	0.013		
95/2	0.012		
	योग : 5.645		

नोट.—(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2011-12-क्र.भू-अर्जन-265.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ौद
(ग) ग्राम—बनोठी खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 0.675 हेक्टर.

सर्वे क्र.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
342	0.019
343	0.084
344	0.067
345	0.006
372	0.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कछाल बांध की नहर.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2011-12-क्र.भू-अर्जन-262.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—बड़ौद
(ग) ग्राम—आमलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 4.950 हेक्टर.

सर्वे नं.	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हे. में)
(1)	(2)
199/5	0.286
198	0.064
199/4	0.006
197	0.091
194	0.179
208	0.021
209	0.214
213/1	0.096
215	0.086
216	0.060
217	0.070
254/मीन-1	0.077

(1)	(2)	(1)	(2)
173	0.024	165	0.144
255	0.112	159/1	0.100
256	0.128	158	0.101
258/1/1	0.009	149	0.006
259	0.058	152	0.019
260/1	0.064	151	0.072
192	0.062	142	0.034
266	0.006	141	0.038
258/2/2	0.009	268	0.022
291/2	0.026	270	0.053
258/2/3	0.001	255/578	0.010
263	0.102	267	0.096
291/1	0.026	295/2	0.130
299/2	0.051	288	0.086
301	0.160	284/2	0.101
300	0.019	271	0.022
303	0.160	269	0.019
290	0.122	297/2	0.038
125	0.091	284/1	0.038
124	0.043		योग : 4.950
102	0.012		
103/4	0.023		
109/1/2	0.017		
187/3	0.019		
103/3	0.034		
109/1/1	0.019		
108	0.058		
132	0.110		
95	0.145		
199/3	0.007		
199/2	0.017		
159/2	0.006		
191	0.058		
188	0.029		
186	0.096		
185/1	0.062		
178	0.024		
123	0.096		
131	0.173		
59	0.139		
167	0.034		
168	0.120		

नोट.—(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कछाल मध्यम परियोजना की नहर निर्माण में आने के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शाजापुर में व अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, आगर-बड़ौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

शाजापुर, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र.भू-अर्जन-2012-288.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में उल्लेखित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में दर्शाये गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शाजापुर

(ख) तहसील—शुजालपुर

(ग) ग्राम—डुंगलाय

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.750 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में)
(1)	(2)
68/2	0.089
95/1/1	0.084
95/1/3	0.115
95/1/2	0.105
95/2	0.020
95/3	0.146
95/4	0.042
103/3	0.065
104	0.025
105/1	0.025
105/2	0.026
106	0.008
योग : <u>0.750</u>	

नोट.—(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—जेठडा तालाब सिंचाई योजना के नहर क्षेत्र में आने वाली भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.भू-अर्जन-2012-289.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में उल्लेखित भूमि की अनुसूची के पद (2) में दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शाजापुर
(ख) तहसील—शुजालपुर
(ग) ग्राम—मेहरखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.697 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल जो अर्जन होना है (हेक्टर में)
(1)	(2)
54	0.021
59/5	0.052
59/1	0.011
59/4	0.042

(1) (2)

59/2 0.052

59/3 0.007

67/4 0.094

67/2 0.167

76 0.220

77 0.031

योग : 0.697

नोट.—(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कालापपील मेहरखेड़ी मार्ग में आने वाली अशासकीय भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शुजालपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रमोद गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 14 अगस्त 2012

प्र. क्र. 16-अ-82-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (1) से (4) में वर्णित 1 मकान अनुसूची के कॉलम नं. (5) में उसके सामने वर्णित प्रयोजन के लिये मकान डूब में आ रहा है अथवा डूबने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, पद घोषित किया जाता है कि उक्त मकान की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

भूमि/मकान का वर्णन				प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	भूमि/मकान का विवरण	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विदिशा	कुरवाई	परसौरा	पूनाबाई पुत्री बलवंत सिंह पत्नी शिवराज सिंह राजपूत निवासी परसौरा का ग्राम परसौरा स्थित भूमि सर्वे क्र. 141/1 रकबा 0.049 हेक्टेयर मकान सहित	रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत एफ.टी.एल. एवं एम. डब्ल्यू. एल. के बीच में आने से.

(2) मकान के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 17-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उसके सामने वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—मनेशा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.564 हेक्टर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
110	0.564
	योग : <u>0.564</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि अनुसूची के पद (2) में उसके सामने वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त भूमि प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—कुरवाई
(ग) ग्राम—परसौरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.336 हेक्टर.

भूमि सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
156/1	0.146
197/2	0.032
147/1/2	0.527
207	0.094

(1)	(2)
188/1	0.175
191	0.251
215/1/3	0.181
	योग : <u>1.336</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी कुरवाई के कार्यालय में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 22 अगस्त 2012

प्र. क्र. 17-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—थाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.934 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
79/27	0.250
79/25	0.230
79/24	0.230
79/23	0.144
79/4	0.164
79/5	0.175
79/9	0.164
79/13	0.260
79/15	0.144
79/17	0.130
79/18	0.110
79/22	0.070
79/26	0.040
79/3	0.030
79/29/1	0.050
599/2	0.743
	योग : <u>2.934</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 18-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—शहपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.358 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
309/1	1.358
योग : <u>1.358</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 19-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—पैगयाई
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.500 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/2	1.000
222	0.500
योग : <u>1.500</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 20-अ-82-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—शमशाबाद
(ग) ग्राम—बरखेड़ा जाट
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.618 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
63	0.315
99/5	0.527

(1)	(2)	(1)	(2)
136/1	0.305	83/3	0.048
137/2	0.325	153/2	0.130
139	0.836	153/4	0.279
23	0.300	86/1	0.036
74	0.010	86/2	0.032
योग :		86/3	0.032
		86/4	0.032
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सगड मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र की निजी भूमि के अर्जन हेतु.		86/5	0.032
		87/3	0.048
		87/5	0.024
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.		87/12	0.060
		87/9	0.032
		89	1.163
		89/353	0.474
		90/4	0.193
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		90/357'क'	0.070
		97/2	0.062
		97/3	0.077
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		102	0.147
		103/1, 104/1	0.252
		109/2	0.559
बड़वानी, दिनांक 22 अगस्त 2012		110/1	1.105
		110/2	0.733
क्र. 1419-भू-अर्जन-2012-राज.प्र.क्र. 27-अ-82-2011-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि एवं भूमि पर स्थित अन्य परिसम्पत्तियां की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		110/2	0.733
		112/1	0.348
		116	0.065
		112/2	0.609
		112/3	0.654
		114	0.583
		117/1	0.809
		117/3	0.514
		117/5	0.121
		117/6	0.247
		117/2	0.689
(1) भूमि का वर्णन—		117/4	0.991
(क) जिला—बड़वानी		117/7	0.042
(ख) तहसील—सेंधवा		118/339	0.162
(ग) ग्राम—झिरीजामली, प. ह. नं. 09		154/1	0.498
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.515 हेक्टर.		154/3	0.932
सर्वे	डूब भूमि का रकबा	155, 166	3.744
नंबर	(हेक्टर में)	157/1	1.623
(1)	(2)	157/4	0.740
83/1	0.077	162	0.162
83/2	0.077		

(1)	(2)
164	0.227
157/2	1.145
157/5	0.708
159	0.384
157/3	1.603
160/1	1.570
160/2	0.332
168/1	0.081
170/344/1	0.753
168/2	0.283
170/344/2	0.769
168/3	0.587
170/344/3	0.485
168/4	0.661
170/344/4	0.364
174/1/3	0.028
174/1/4	0.056
174/1/5	0.028
177	0.140
183/1/2	0.053
224/1	0.085
224/2	0.065
224/3	0.032
226/2	0.445
228/1	0.324

योग : 30.515

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कमोदवाड़ा तालाब एवं मार्ग निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय, बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बड़वानी, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. 1426- भू-अर्जन-2012-राज.प्र.क्र. 26-अ-82-2011-12- भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि एवं भूमि पर स्थित अन्य परिसम्पत्तियां की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)

की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—सेंधवा

(ग) ग्राम—धनोरी, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल—36.845 हेक्टर.

सर्वे नंबर	डूब भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/1, 4/4	0.450
2/2, 4/8	1.094
4/2	0.453
5	0.567
6/1	0.587
6/2	0.445
6/3	0.425
6/4	0.857
6/5	0.708
9/6	0.101
12	4.075
17	0.413
18/2	
21/2	0.628
23/4	0.352
14/1, 18/1	0.659
42	0.057
14/2	0.688
14/3	0.121
14/6/1	0.688
14/4	0.318
14/8	1.096
14/5	0.829
14/7	1.097
20/2	0.032
22/2	1.538
14/6/2	1.631
19	0.210
21/1	1.203
23/1	0.353
24/1/1/1,41	0.567
24/1/2	0.797

कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बड़वानी

(ख) तहसील—सेंधवा

(ग) ग्राम—कमोदवाड़ा, प. ह. न. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल—51.259 हेक्टर.

सर्वे

डूब भूमि का रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

55/2 0.052

55/4 0.076

55/5 0.150

55/6 0.110

55/10 0.137

55/12 0.044

58/3 0.029

58/4 0.029

60/3 0.037

60/4 0.061

61/8 0.010

60/5 0.126

60/7, 61/5 0.118

60/8 0.085

61/1 0.080

61/18 0.110

61/19 0.058

61/20 0.076

67/1, 68/1 0.176

70/1 0.202

69/1 0.029

69/2 0.126

69/3, 69/7, 87/2 0.384

69/4, 87/8 0.084

69/5 0.126

69/6 0.018

71/1/5 0.070

71/1/7 0.045

71/1/8 0.126

80/1/1/1/1/2/2 0.040

(1)	(2)
24/2	0.469
24/3	0.243
26	0.302
23/2	0.364
27/2	0.344
23/3	0.363
27/1	0.461
27/3	0.344
29	0.688
30/1	0.385
31/1	0.951
30/2	0.384
22/2	1.902
31/2	0.089
31/3	0.194
22/3	1.056
32/1	0.171
32/2, 33/1, 34/5	0.864
33/2, 34/4	1.080
44	0.081
46/1	0.841
46/2	0.660
102, 103, 104	0.324
105/1	
131/1	1.068
157/2	0.178

योग : 36.845

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कमोदवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1425-भू-अर्जन-2012-राज.प्र.क्र. 28-अ-82-2011-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि एवं भूमि पर स्थित अन्य परिसम्पत्तियां की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है

(1)	(2)	(1)	(2)
87/1/1/4/1	0.567	94/5	1.028
87/1/1/4/5	0.587	94/6	0.729
80/1/2, 80/3	0.178	94/7	1.307
80/1/7, 87/1/3	0.712	94/9	1.303
80/7, 80/10, 83/1	0.089	96/1/1	1.417
82/4, 87/14	0.461	96/1/2	0.121
87/1/1/1/3,	3.197	96/1/3	0.344
87/1/2		96/1/4	0.243
87/1/1/3, 87/10,	0.904	96/1/5	0.243
87/12		96/1/7	0.890
87/1/1/4/2	0.324	96/1/6	0.870
87/1/1/4/4	0.546	96/2	0.648
87/1/1/4/8	0.121	99/1	0.095
87/1/1/4/3	1.133	99/6	0.728
87/1/1/4/9	0.222	99/2	0.072
87/1/1/4/6	0.580	99/4	0.648
87/1/1/4/7	0.445	99/3	0.080
87/1/6	0.181	99/5	0.728
87/3	0.186	99/7	0.947
87/9, 87/11	1.801	100/1	0.226
88/1	0.510	102/4	0.465
88/5	0.567	100/2	0.390
92/1, 92/2, 92/5	1.085	102/5	0.830
88/2	0.607	100/3	1.319
88/7	0.251	100/5	0.465
92/4	0.607	102/2	0.975
88/3	0.526	100/4	0.465
88/6	0.202	101/1	1.382
92/8	0.615	101/2	1.287
92/10	0.607	101/3	1.247
88/4	1.789	102/3	0.749
92/9	0.283		
89, 90/1	1.113		
91	0.283		
92/6	0.607		
90/2/1	0.445		
92/7/1	0.202		
90/2/2	0.465		
92/7/2	0.203		
92/3	0.243		
94/1, 94/2	0.648		
94/3, 94/4	0.809		
94/8	1.303		

योग : 51.259

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कमोदवाड़ा तालाब एवं नहर निर्माण योजना हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर कार्यालय बड़वानी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंधवा, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग बड़वानी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन, अनुविभाग-सेंधवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 22 अगस्त 2012

प्र.क्र.02-अ-82-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—राजनगर
(ग) नगर/ग्राम—सतना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—निजी भूमि 7.719 हेक्टर.

भू-अर्जन खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/2	0.730
3	0.540
4/2	1.050
4/6	0.809
6	0.100
7	0.110
10/1	0.800
10/2	0.960
11	0.530
59/1क	0.810
61/1/1	1.280

योग : 7.719

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकगारी राजस्व राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छतरपुर, दिनांक 28 अगस्त 2012

प्र.क्र.06-अ-82-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—छतरपुर
(ग) नगर/ग्राम—पिपौराकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.691 हेक्टर.

भूमि का खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
472/1	0.477
926/1/1	0.656
1153	0.558
योग : <u>1.691</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—ललितपुर-सिंगरौली (खजुराहो) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 24 अगस्त 2012

प्र.क्र.03-अ-82-वर्ष 2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894)

की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—हटा
(ग) नगर/ग्राम—वर्धा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.40 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1554 में से	0.05
1555 में से	0.15
1456/1 में से	0.10
985 में से	0.10
योग :	<u>0.40</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—वर्धा जैतपुर मार्ग के बरैया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण के अर्जन में आने वाली भूमि का निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, हटा एवं भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड हटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (5) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 24 अगस्त 2012

क्र. 2462-भू-अर्जन-कार्य.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—कोटर
(ग) ग्राम—खोहर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.578 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
366	0.080
367	0.040
368	0.004
365	0.088
371	0.102
362	0.080
384	0.044
383	0.006
385	0.152
386	0.044
388	0.074
857	0.108
856	0.036
853	0.100
854	0.128
848	0.002
847	0.112
846	0.198
844	0.148
845	0.036
822	0.044
820	0.026
808	0.036
818	0.060
817	0.076
816	0.056
812	0.112
809	0.032
813	0.080
870	0.036

(1)	(2)	(1)	(2)
799	0.028	1753	0.008
794	0.028	1622	0.016
793	0.108	1752	0.144
792	0.028	1623	0.140
791	0.044	1624	0.020
790	0.084	1620	0.012
666	0.068	1616	0.030
765	0.012	1615	0.112
762	0.064	1614	0.084
761	0.036	2118	0.236
758	0.120	1586	0.028
760	0.008	1602	0.012
713	0.016	1587	0.064
759	0.050	1590	0.048
712	0.096	1591	0.064
709	0.120	1590	0.088
708	0.128	1561	0.032
707	0.020	1562	0.028
701	0.080	1563	0.004
702	0.092	1560	0.044
1193	0.076	850	0.016
1194	0.116	843	0.054
1195	0.038	841	0.056
1190	0.032	840	0.036
1803	0.056	839	0.064
1804	0.044	863	0.048
1805	0.056	838	0.048
1806	0.024	837	0.044
1807	0.012	836	0.200
1800	0.100	901	0.036
1786	0.008	835	0.016
1799	0.106	902	0.048
1796	0.068	903	0.076
1795	0.040	905	0.012
1794	0.044	904	0.032
1762	0.232	1056	0.220
1763	0.036	1059	0.008
1755	0.028	1057	0.004
1754	0.038	1061	0.012

(1)	(2)
1060	0.108
1063	0.032
1079	0.060
1062	0.036
1078	0.160
1102	0.008
1103	0.080
1101	0.084
1104	0.004
1106	0.012
1100	0.036
1108	0.120
1105	0.080
1098	0.244
1139	0.018
1138	0.070
1131	0.094
1132	0.076
1137	0.052
1136	0.032
1134	0.080
2166	0.024
1888	0.300

योग : 8.578

अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
 (ग) ग्राम—भितरी
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.52 हेक्टेयर.

ग्राम-भितरी, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)
 बरहा टोला सब माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली
 भूमि की सूची

खसरा नं. रकबा (हेक्टेयर में)
 (1) (2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

538/1	
538/2	0.01
538/3	
539	0.02
552/1	
552/2	0.02
552/3	
553	0.08
554	0.09
763	0.08
764/1	
764/2	0.04
764/3	
769	0.01
770	0.03
771	0.06
772	0.02
780	0.02
781	0.03
782	0.05
783	0.01
787	0.12
792	0.01
793	0.02
794	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पथंडा डिस्ट्रीब्यूटरी एवं खोहर माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाली निजी शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. 2474-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

(1)	(2)
795	0.01
796	0.01
797	0.01
798	0.04
799	0.02
834	0.04
839	0.03
840	0.04
841	0.04
850	0.03
851	0.05
852	0.02
901	0.01
902	0.01
903	0.08
914	0.03
915	0.08
935	0.06
938	0.45
936	0.19
960/1	0.30
960/2	
962	0.01
1110	0.13

कुल योग : $\frac{2.52}{}$

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

निरंक	निरंक
योग (ब) —	—
महायोग (अ)+(ब)	$\frac{2.52}{}$

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा=2.52 हेक्टेयर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा=निरंक
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा=2.52 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत रामपुर वितरक नहर की रायखोर माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2492-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—झाला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.06 हेक्टेयर.

ग्राम—झाला, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म.प्र.)
झाला सब माईनर नहर निर्माण हेतु आने वाली
भूमि की सूची

खसरा नं. रकबा (हेक्टेयर में)
(1) (2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

814	0.01
815	0.15
817	0.03
819	0.14
865	0.16
867	0.04
868	0.06
869	0.03
872	0.07
874	0.13
875	0.06
885	0.02
887	0.08
873	0.06

योग : $\frac{1.04}{}$

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

820	0.01
821	0.01
योग	$\frac{0.02}{}$
महायोग (अ + ब)	$\frac{1.06}{}$

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा=1.04 हेक्टेयर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा=0.02 हेक्टेयर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा=1.06 हेक्टेयर.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत झाला सब माईनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2494-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम—कोटा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.44 हेक्टर.

ग्राम कोटा, तहसील रामपुर नैकिन, जिला सीधी (म. प्र.)
डिटौरा माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली भूमि की सूची

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
470	0.25
473	0.11
474	0.10
487	0.01
488	0.04
489	0.02
490	0.03
491	0.01
493	0.02
559	0.41
561	0.02
564	0.06
565	0.11
566	0.08
576	0.15
577/1	0.02
योग (अ) 16 किता	1.44
(ब) शासकीय भूमि का विवरण	
1. निरंक	निरंक
योग (ब) —	—
महायोग (अ+ब) 16 किता	1.44

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 1.44 हेक्टेयर
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा=निरंक
भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा = 1.44 हेक्टेयर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत डिटौरा माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2502-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) नगर/ग्राम—घटोखर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.12 हेक्टेयर.

ग्राम घटोखर, तहसील-रामपुर नैकिन, जिला-सीधी (म. प्र.)
बरहा टोला सब-माइनर नहर निर्माण हेतु आने वाली
भूमि की सूची

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
762/1	0.06
763	0.10
848	0.03
849/2	0.01
930/1, 930/2, 930/3	0.15
1020	0.03
1021	0.03
1030	0.12
1031	0.10
1036	0.07
1039	0.03
1040	0.10
1041	0.05
1042	0.15
1054	0.01
1055	0.07
1057	0.06
1058	0.06

क्र. 2504-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
 (ख) तहसील—रामपुर नैकिन
 (ग) नगर/ग्राम—झांझ
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.16 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
	(1)	(2)
1059	2360	0.01
1072	2361	0.02
1081	2407	0.02
1082	2408	0.06
1083	2409	0.12
1084	3391	0.04
1092	3399	0.09
1098/1, 1098/2	3400	0.02
1138	3422	0.07
1140	3424	0.06
1144	3425	0.03
1145	3441	0.01
1158	3460	0.01
1161	3461	0.03
1163	3463	0.01
1164	3464	0.01
1170	3469	0.04
1171	3470	0.12
1172	3471/1, 3471/2	0.10
1173	3486/1, 3486/2,	0.05
1177	3486/3, 3486/4,	
1180	3486/5	
1181	3492	0.06
1182	3493/1, 3493/2	0.01
1183	3494	0.16
योग (अ) 43 कित्ता	3496	0.04
(ब) शासकीय भूमि का विवरण	3497	0.04
849/1		
1043		
1080		
1146		
1179		
योग (ब) 5 कित्ता		
महायोग (अ+ब) 48 कित्ता		

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा = 2.00 हेक्टे.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित शासकीयभूमि का रकबा=0.12 हेक्टे.

भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का रकबा = 2.12 हेक्टे.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत रामपुर वितरक नहर की रायखोर माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

(1)	(2)	(ग) ग्राम—मुर्तला कोठार	(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.33 हेक्टेयर.
3500	0.10		
3501	0.01	(अ) निजी भूमि का विवरण	
3502	0.03	खसरा	रकबा
3503	0.01	नम्बर	(हेक्टर में)
3504	.6	(1)	(2)
3505	0.01	290	0.04
3506	0.07	291/1	0.02
3507	0.01	291/2	0.02
3512	0.05	292	0.03
3513	0.02	293	0.07
3517	0.02	300	0.03
3518	0.09	301	0.05
3519	0.05	305	0.03
3521	0.19	306	0.03
3523	0.10	396	0.09
3536	0.05	318/1, 318/2, 318/3	0.09
3537	0.02	320	0.02
योग (अ) 42 किता	2.12	322	0.07
(ब) शासकीय भूमि का विवरण		325	0.07
3516	0.04	326	0.01
योग (ब) 1 किता	0.04	328	0.06
महायोग (अ+ब) 43 किता	2.16	329/1	0.02
		330/1, 330/2	0.15
		334	0.01
		340	0.11
		342	0.07
		327	0.02
		350	0.06
		351	0.04
		352	0.02
		355	0.03
		362	0.01
		363	0.02
		364	0.04
		योग (अ) 29 किता	1.33
		(ब) शासकीय भूमि का विवरण	निरंक
		महायोग (अ+ब) 29 किता	1.33

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत रामपुर वितरक नहर की रायखोर माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2506-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत रामपुर वितरक नहर की मुर्तला माइनर की शिवरापुर सब-माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 2508-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—शिवराजपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.600 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.030
2	0.004
3	0.030
12	0.060
13	0.070
15/1	0.040
16	0.030
17	0.060
61	0.080
62	0.005
63	0.096
91	0.020
92/1, 92/2	0.240
159	0.110
160	0.090
161	0.005
162	0.030
163	0.070
164	0.050
165	0.020
166	0.030
167	0.010
185	0.060
186	0.020
187	0.020

(1) (2)

199 0.026

201 0.010

202 0.020

203 0.130

206 0.020

210 0.030

211 0.030

219 0.010

221 0.060

योग (अ) 1.600

(ब) म. प्र. शासन की निरंक

भूमि का विवरण

महायोग (अ+ब) 1.600

प्रमाणित किया जाता है कि दिये गये खसरा तथा रकबा के अलावा कोई रकबा शेष नहीं है.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत रामपुर वितरक नहर की मुर्तला माइनर की शिवराजपुर सब माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2512-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—रामपुर नैकिन

(ग) ग्राम—झाला

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.36 हेक्टेयर.

डिठौरा सबमाइनर नहर निर्माण ग्राम-झाला तहसील रामपुर नैकिन, जिला-सीधी (म. प्र.)

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
214/1	0.02
215	0.02

(1)	(2)	योग (अ + ब) 43 किता, 2.36 हे.
217	0.08	प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा=2.07 हे.
218	0.07	प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा= 0.29 हे.
219	0.04	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर
222	0.08	परियोजना के अंतर्गत रामपुर वितरक नहर क्र. 2 का
223	0.08	निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों
224	0.13	पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
262	0.12	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन
263	0.12	एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.
264	0.02	
268	0.01	
284	0.04	क्र. 2514-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का
285	0.03	समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित
2886	0.02	भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक
287	0.02	प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894
295	0.15	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह
296	0.04	घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के
297	0.01	अर्जन हेतु आवश्यकता है:—
408	0.11	
413	0.07	अनुसूची
435	0.01	(1) भूमि का वर्णन—
437	0.14	(क) जिला—सीधी
448/1क, 448/1ख	0.04	(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
448/2	0.03	(ग) ग्राम—नौदिया
459	0.07	(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.12 हेक्टेयर.
460/1, 460/2	0.07	
477	0.04	(अ) निजी भूमि का विवरण
478	0.03	खसरा
484	0.02	नम्बर
485	0.06	(1)
486	0.02	544/1
488	0.03	545
490	0.03	546
496	0.20	
योग . .	2.07	अर्जित रकबा
		(हेक्टर में)
		(2)
		0.030
		0.070
		0.020
		योग . .
		0.12
(ब) म. प्र. शासन की		योग 3 किता, 0.12 हेक्टेयर
भूमि का विवरण		प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा=0.12 हेक्टे.
220	0.03	शासकीय भूमि का रकबा = निरंक
414	0.10	
421	0.01	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर
422	0.04	परियोजना के अंतर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का
423	0.02	निर्माण कार्य के अंतर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमियों
445	0.02	पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
406	0.03	
407	0.04	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन
योग . .	0.29	एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2516-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—		(1)	(2)
(क) जिला—सीधी		1534	0.02
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन		1547/1, 1547/2	0.12
(ग) ग्राम—कंधवार		1545	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.41 हेक्टेयर.		1546	0.02
		1557	0.01
		1556	0.02
		1551	0.03
		1552/1, 1552/2	0.04
		1553	0.11
		1577/1, 1577/2	0.02
		1592	0.04
		1593	0.05
ग्राम—कंधवार, कंधवार सबमाइनर, नहर निर्माण तहसील रामपुर नैकिन, जिला-सीधी (म. प्र.)		1602	0.05
		1619	0.15
(अ) निजी भूमि का विवरण		1620/1, 1620/2	0.04
खसरा	अर्जित रकबा	1621/1, 1621/2	0.14
नम्बर	(हेक्टर में)	1622	0.06
(1)	(2)	1599	0.03
929	0.04		
920	0.10		
1201	0.06		
1202/1/1, 1202/1/2,			
1202/1/5, 1202/2/1,	0.26		
1202/1/2, 1202/2			
1341	0.02		
1342	0.06		
1344/1, 1344/2,			
1344/3, 1344/4,	0.01		
1344/5			
1346/1, 1346/2	0.01		
1348	0.08		
1349/1, 1349/2	0.06		
1360/1, 1360/2	0.10		
1463	0.06		
1473	0.02		
1474	0.09		
1490/1, 1490/2	0.12		
1493	0.08		
1495	0.06		
1492/2, 1492/2, 1492/3	0.08		
1496	0.02		
1497	0.05		
1507	0.02		
			योग . . . 2.36
		म. प्र. शासन की भूमि का विवरण	
		1510	0.03
		1511	0.02
		योग . . .	0.05
			योग (अ +ब) 41 किता, 2.41 हे. प्रस्तावित निजी भूमि का रकबा=2.36 हे. प्रस्तावित शासकीय भूमि का रकबा = 0.05 हे.
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत रामपुर वितरक नहर की रायखोर माइनर में आने वाली निजी भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.	
		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
		रीवा, दिनांक 30 अगस्त 2012	
		क्र. 2622-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके	

द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—गुढ़
(ग) ग्राम—चौडियार
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.072 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
245	0.072
योग . .	<u>0.072</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना बाँध के अंतर्गत गुढ़ मऊगंज उद्वहन सिंचाई योजना की मुख्य नहर निर्माण में आने वाले निजी भूमि/शासकीय भूमि के सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, जिला रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2626-प्रका.-भू-अर्जन-कार्य-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—कुसहा 95
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.033 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/245	0.033
योग . .	<u>0.033</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की लौआ वितरक नगर की माइनर नं. 2 के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2628-प्रका.-भू-अर्जन-कार्य-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हुजूर
(ग) ग्राम—लौआ
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.008 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
746	0.008
योग . .	<u>0.008</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की लौआ वितरक नगर की माइनर नं. 1 के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2632-प्रका.-भू-अर्जन-कार्य-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि

के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—सथिनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.061 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1405	0.061
योग . .	<u>0.061</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योटी नहर की लौआ वितरक नगर की माइनर नं. 3 के अंतर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. 7260-भूमि संपादन-12-प्र. क्र. 4-11-12-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उज्जैन
(ख) तहसील—बडनगर

(ग) ग्राम—बालोदाकोरन

(घ) लगभग क्षेत्रफल —13.95 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
4/1	0.68
10/1	0.23
4/3	0.35
7	0.07
5	0.68
26/1	0.52
6	1.19
16	0.01
17	0.20
8	0.48
9	0.32
20	0.45
21	0.32
22/1	0.37
23	0.57
26/2	1.36
24	0.95
25	0.22
27	0.40
39	0.48
40	0.40
212	0.24
28	1.45
3	0.32
4/2	1.04
10/2	0.20
11	0.05
18	0.20
22/2	0.20
योग..	<u>13.95</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है—ग्राम बालोदाकोरन तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बडनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7261-भूमि संपादन-12-प्र. क्र. 5-11-12-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—बड़नगर

(ग) ग्राम—नकूचाखेड़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —14.27 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
49/1	0.52
16	0.18
17/1	0.46
18	0.20
21	0.60
40	0.10
54	0.20
56	0.20
17/2	0.62
19/1	0.08
42/1	0.49
20	0.12
50/2	0.96
39	0.78
47	0.63
48	1.43
41	0.41
55	0.40
19/2	0.08
42/2	0.90
19/3	0.08
43	0.20
42/3	0.25
57	0.10

(1)	(2)
19/4	0.05
50/1	0.23
51	0.21
11	0.11
15	0.50
22	0.38
53/1	0.10
38	0.40
49/2	0.53
52	0.30
62/1	1.02
62/2	0.20
67/1	0.25
योग . .	<u>14.27</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है—ग्राम बालोदाकोरन तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बडनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7262-भूमि संपादन-12-प्र. क्र. 3-11-12-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उज्जैन

(ख) तहसील—बड़नगर

(ग) ग्राम—बरडिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल —103.62 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
907	7.57
1301	0.30
1302	0.14

(1)	(2)	(1)	(2)
1308	0.40	1390/1	0.13
1404	0.59	1391/1	0.55
1323/2	0.05	1392	0.26
1325/3	0.05	1405	0.54
1359	0.54	1412	2.09
1365/2	0.70	1413	0.14
915	0.84	1414	0.30
916/2/2	0.13	1399	0.90
917	0.40	1418	1.86
918	0.24	1398	0.45
919	1.05	1419/1	0.64
916/2/1	0.67	1400/1480	0.40
1364	0.80	1421	0.43
916/1	1.06	1422	0.07
916/4	0.27	1424	0.44
920	0.15	1425	0.30
921	0.21	1423/1	0.03
1367	1.30	1428/1	1.17
1368	0.55	1465/2	0.10
1369/2	0.73	1423/2	0.03
1365/1	0.70	1428/2	1.18
1366/1	0.34	1465/3	0.10
1373/1	0.03	1423/3	0.04
1373/2	0.37	1428/3	1.17
1375/1	0.10	1465/4	0.10
1369/1	0.87	1455	0.20
1459	0.04	1456	0.40
1461	0.70	1457	0.30
1462	0.22	1458	0.02
1366/2	0.34	1454/1	0.92
1373/3	0.03	1467/2	3.36
1373/4	0.37	1454/2	0.91
1375/2	0.10	1465/1	2.57
1376	0.21	1466	0.43
1378	1.16	1467/1	0.36
1377	0.25	1402	1.15
1379	0.40	1460/1	0.40
1381	1.17	1401	1.15
1382	0.64	1460/2	0.37
1389	0.80	1464/1	0.13
1390/2	0.45	895	0.35
1391/2	0.15	896	2.57
1395	2.18	900	0.39
1419/2	0.40	905	0.78
1386	0.14	908/1	1.44
1396	0.79	899	0.28
1384	0.73	902	0.10
1384/1509	0.41	904	0.25

(1)	(2)	(1)	(2)
1372	1.63	911/1	0.44
1415	1.59	911/2	0.44
903	0.11	911/3	0.44
1406	0.71	911/4	0.44
1407	1.06	911/5	0.44
1325/2	0.06	911/6	0.44
1361	0.50	911/7	0.43
908/2	1.45	911/8	0.44
910	0.54	911/9	0.44
912	1.77	कुल योग . . .	<u>103.62</u>
914/1478	0.06		
1098/3/1	0.30	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यक है.—ग्राम	
1098/3/2	0.50	बालोदाकोरन तालाब योजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु	
916/3	0.35	निजी भूमि का अर्जन.	
922	0.44		
1371/1	0.31	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व,	
1371/2	0.30	बडनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.	
1371/3	0.30		
1371/4	0.31	उज्जैन, दिनांक 29 अगस्त 2012	
1371/5	0.50		
1363	0.78	क्र. क्यू-भूमि. सम्पा-12-7354.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात	
1380/1	1.38	का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	
1380/2	1.37	वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	
1383	1.26	प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894	
1387	1.44	(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह	
1388	0.72	घोषित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये	
1394	0.60	आवश्यकता है:—	
1416	1.44	अनुसूची	
1417	1.30		
1420	1.41	(1) भूमि का वर्णन—	
1426/1	0.52	(क) जिला—उज्जैन	
1426/2	0.51	(ख) तहसील—तराना	
1451	0.19	(ग) ग्राम—डेलची 12.15	
1453	0.26	कडोदिया 03.88	
894	0.40	(घ) कुल क्षेत्रफल —16.03 हेक्टेयर.	
930	0.30		
1300	0.01	ग्राम—डेलची	
1304	0.43		
1307/1	0.07		
1397	0.83	सर्वे	अधि. रकबा
1400	1.15	नंबर	(हे. में)
1463	2.10	(1)	(2)
1464/2	1.06	1187 पेकी	0.40
1468	0.75	1289	0.38
1469	0.08	1290	0.38
1470	0.97	1291	0.25
1471/1	0.02	1292	0.25
1305	0.45		

(1)	(2)	(1)	(2)
1293/1	0.12	ग्राम—कडोदिया	
1293/2	0.13	1197 पेकी	0.19
1294	0.38	1198 पेकी	0.14
1295	0.50	1199 पेकी	0.13
1296	0.25	1200 पेकी	0.05
1297	0.38	1201 पेकी	0.07
1298	0.25	1202 पेकी	0.14
1299	0.25	1204 पेकी	0.05
1300	0.25	1206 1 पेकी	0.02
1301	0.15	1206/2/1 पेकी	0.02
1304	0.10	1206/2/2 पेकी	0.02
1305	0.15	1208 पेकी	0.05
1306	0.10	1209 पेकी	0.02
1307	0.15	1210 पेकी	0.02
1311	0.18	1211 पेकी	0.04
1312	0.18	1212 पेकी	0.04
1313	0.18	1213 पेकी	0.04
1314	0.18	1892 पेकी	1.25
1315	0.18	1893 पेकी	0.19
1316	0.18	1946/2599 पेकी	0.14
1345	0.18	1958/2600 पेकी	0.13
1346	0.18	1962 पेकी	0.11
1348	0.18	2175 पेकी	0.19
1349	0.18	2178 पेकी	0.07
1350	0.18	2205/2 पेकी	0.32
1351	0.18	2209 पेकी	0.10
1352	0.18	2210 पेकी	0.08
1353	0.23	2211 पेकी	0.01
1354	0.23	2212 पेकी	0.05
1355	0.18	2213 पेकी	0.12
1356	0.18	2214 पेकी	0.05
1357	0.18	2215 पेकी	0.03
1358	0.18	कुल योग . .	<u>3.88</u>
1359	0.19		
1365/3	0.50	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—पैतीसा तालाब निर्माण अंतर्गत डूब प्रभावित होने तथा नहर निर्माण हेतु.	
1365/4	0.50		
1365/5	0.50		
1391 पेकी	1.00	(3) भू-अर्जन नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, तराना तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उज्जैन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
1401	0.18		
1402	0.18		
1403	0.18		
1404	0.18		
1405	0.18		
1406	0.22	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
योग . .	<u>12.15</u>	बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

संशोधित अधिसूचना

रायसेन, दिनांक 25 अगस्त 2012

प्र. क्र. 04-अ-82-09-10.—भू-अर्जन अधिकारी, रायसेन ने संग्रामपुर सिंचाई योजना हेतु धारा 6 का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 6 मई 2011 को किया गया. धारा 9 में प्राप्त आपत्तियों को स्वीकार किया गया. राजपत्र में जारी अधिसूचना प्रारूप में ग्राम संग्रामपुर के निम्न खसरा क्रमांकों एवं रकबों में संशोधन किया जाना है.

विलोपित किये जाने वाले

संशोधित जो प्रकाशित होना है
(अर्जित की जाने वाली भूमि)

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
152/1	0.647	0.106	57/1	0.607	0.040
152/2	3.803	0.192	152/3/1	1.214	0.080
153/3	5.015	0.09	157/2	0.607	0.040
114/1	0.647	0.084	152/3/2	1.214	0.060
45/1	0.669	0.192	153/3/1/1	0.242	0.040
योग . .	10.781	0.664	152/3/3/1/1	0.971	0.040
			40/2	0.114	0.04
			41/2	0.065	0.030
			152/2	3.803	0.040
			152/3/3/1/2	1.214	0.048
			113	0.437	0.024
			114/1	2.250	0.060
			42/2	0.065	0.030
			42/1	0.089	0.040
			40/1	0.109	0.052
			योग . .	13.001	0.664

इस कारण धारा 6 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची से पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः

भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
(ख) तहसील—रायसेन
(ग) ग्राम—संग्रामपुर, अण्डोल, मिर्जापुरपाली, मूरैलकलॉ
(घ) क्षेत्रफल —15.193 हेक्टर.

जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले
खसरा क्रमांक एवं रकबा

संशोधित जो प्रकाशित होना है
(अर्जित की जाने वाली भूमि)

खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किया गया रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
161/1	0.607	0.132	161/1	0.607	0.132

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
149	1.623	0.080	149	1.623	0.080
285	0.407	0.060	285	0.407	0.060
	2.637	0.272		2.637	0.272
160	1.214	0.128	160	1.214	0.128
122/5	0.263	0.160	122/5	0.263	0.160
	1.477	0.288		1.477	0.288
164/2	0.631	0.280	164/2	0.631	0.280
163/1/2	0.819	0.120	163/1/2	0.819	0.120
	1.450	0.400		1.450	0.400
167	1.505	0.080	167	1.505	0.080
163/2/1	0.607	0.228	163/2/1	0.607	0.228
	2.112	0.308		2.112	0.308
166/1	0.311	0.048	166/1	0.311	0.048
165/2	0.972	0.190	165/2	0.972	0.190
151/2/1	2.452	0.090	151/2/1	2.452	0.090
	3.735	0.328		3.735	0.328
122/4	0.263	0.040	122/4	0.263	0.040
148/2	0.837	0.080	148/2	0.837	0.080
	1.100	0.120		1.100	0.120
128	0.486	0.016	128	0.486	0.016
77/1	0.558	0.096	77/1	0.558	0.096
	1.044	0.112		1.044	0.112
129	0.421	0.124	129	0.421	0.124
131	0.547	0.112	131	0.547	0.112
139	0.995	0.168	139	0.995	0.168
	1.963	0.404		1.963	0.404
151/2/2	1.801	0.096	151/2/2	1.801	0.096
152/1	0.647	0.106		विलोपित	
	2.448	0.202		1.801	0.096
114/2	0.551	0.090	114/2	0.551	0.090
116	0.117	0.018	116	0.117	0.018
	0.668	0.108		0.668	0.108
118	2.250	0.36	118	2.250	0.36
53	0.210	0.066	53	0.210	0.066
	2.460	0.102		2.460	0.102
61/2/1	0.097	0.015	61/2/1	0.097	0.015
68/1	0.125	0.060	68/1	0.125	0.060
66/1	0.101	0.048	66/1	0.101	0.048
63/2	0.109	0.048	63/2	0.109	0.048
	0.432	0.171		0.432	0.171

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
65/2/2	0.097	0.015	65/2/2	0.097	0.015
68/2	0.126	0.018	68/2	0.126	0.018
	0.223	0.033		0.223	0.033
46	0.168	0.030	46	0.168	0.030
47	0.166	0.030	47	0.166	0.030
	0.334	0.060		0.334	0.060
142/2	1.203	0.096	142/2	1.203	0.096
127	0.146	0.036	127	0.146	0.036
	1.349	0.132		1.349	0.132
162/2	1.894	0.144	162/2	1.894	0.144
310	0.902	0.300	310	0.902	0.300
	2.796	0.444		2.796	0.444
311/3	0.705	0.705	311/3	0.705	0.705
311/1	0.708	0.160	311/1	0.708	0.160
161/318/1	1.214	0.280	161/318/1	1.214	0.280
164/1	1.392	0.096	164/1	1.392	0.096
165/1	2.025	0.304	165/1	2.025	0.304
311/2	0.708	0.708	311/2	0.708	0.708
148/1	2.688	0.280	148/1	2.688	0.280
121/1	1.388	0.200	121/1	1.388	0.200
142/1	1.203	0.204	142/1	1.203	0.204
126	1.461	0.080	126	1.461	0.080
312	2.428	0.203	312	2.428	0.203
313	6.070	0.927	313	6.070	0.927
121/2	1.384	0.080	121/2	1.384	0.080
162/1	1.894	0.144	162/1	1.894	0.144
151/1	1.619	0.120	151/1	1.619	0.120
152/2	3.803	0.192		विलोपित	
152/3	5.015	0.090			
309	4.338	0.140	309	4.338	0.140
299	4.856	0.172	299	4.856	0.172
269/1/10	1.006	0.060	269/1/10	1.006	0.060
269/1/9	1.006	0.064	269/1/9	1.006	0.064
269/1/8	1.006	0.100	269/1/8	1.006	0.100
269/1/7	1.006	0.020	269/1/7	1.006	0.020
271/1	1.214	0.024	271/1	1.214	0.024
270	5.261	0.220	270	5.261	0.220
289/1/1	1.640	0.064	289/1/1	1.640	0.064
289/2	1.226	0.120	289/2	1.226	0.120
290/1	0.778	0.060	290/1	0.778	0.060
291	0.599	0.064	291	0.599	0.064
287	0.603	0.064	287	0.603	0.064
163/2/2	1.571	0.020	163/2/2	1.571	0.020
168/1	1.012	0.120	168/1	1.012	0.120

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
114/3	0.595	0.090	114/3	0.595	0.090
114/1	0.647	0.084		विलोपित	
71	1.129	0.114	71	1.129	0.114
74	0.243	0.072	74	0.243	0.072
63/1	0.061	0.042	63/1	0.061	0.042
63/3	0.109	0.048	63/3	0.109	0.048
54	0.263	0.030	54	0.263	0.030
50	0.198	0.048	50	0.198	0.048
45/1	0.669	0.192		विलोपित	
36	3.189	0.348	36	3.189	0.348
	96.158	10.637		85.377	9.973
			157/1	0.607	0.040
			152/3/1	1.214	0.080
			157/2	0.607	0.040
			152/3/2	1.214	0.060
			153/1/1	0.242	0.040
			152/3/3/1/1	0.971	0.040
			40/2	0.114	0.040
			41/2	0.065	0.030
			152/2	3.803	0.040
			152/3/3/1/2	1.214	0.048
			113	0.437	0.024
			114/1	2.250	0.060
			42/2	0.065	0.030
			42/1	0.089	0.040
			40/1	0.109	0.052
योग संग्रामपुर	96.158	10.637		98.378	10.637
59/1	0.405	0.054	59/1	0.405	0.054
61/1	0.809	0.042	61/1	0.809	0.042
52/2	1.719	0.240	52/2	1.719	0.240
64/1/1	0.809	0.120	64/1/1	0.809	0.120
185/2/1	2.124	0.018	185/2/1	2.124	0.018
185/1	3.237	0.150	185/1	3.237	0.150
184/4	1.418	0.072	184/4	1.418	0.072
183/1	2.104	0.168	183/1	2.104	0.168
183/2/1	1.052	0.088	183/2/1	1.052	0.088
183/2/2	1.402	0.088	183/2/2	1.402	0.088
57/2/2	0.425	0.045	57/2/2	0.425	0.045
57/3	1.841	0.042	57/3	1.841	0.042

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
57/2/1	0.430	0.045	57/2/1	0.430	0.045
58	1.668	0.120	58	1.668	0.120
64/1/2	0.405	0.170	64/1/2	0.405	0.170
37	1.243	0.210	37	1.243	0.210
36	2.440	0.120	36	2.440	0.120
30/1	1.003	0.030	30/1	1.003	0.030
30/2	0.923	0.120	30/2	0.923	0.120
31	4.148	0.350	31	4.148	0.350
32	5.160	0.240	32	5.160	0.240
योग अण्डोल	34.405	2.532		34.765	2.532
258	0.712	0.090	258	0.712	0.090
256	0.372	0.042	256	0.372	0.042
274	1.311	0.130	274	1.311	0.130
266/3	1.987	0.156	266/3	1.987	0.156
266/2	1.987	0.136	266/2	1.987	0.136
266/1	2.258	0.174	266/1	2.258	0.174
262	1.728	0.210	262	1.728	0.210
254/1	0.263	0.036	254/1	0.263	0.036
257	0.506	0.066	257	0.506	0.066
259	0.907	0.048	259	0.907	0.048
योग मिर्जापुरपाली	12.031	1.088		12.031	1.088
316	0.194	0.024	316	0.194	0.024
311	1.141	0.090	311	1.141	0.090
306	0.956	0.060	306	0.956	0.060
316	3.237	0.360	316	3.237	0.360
310/2	0.623	0.018	310/2	0.623	0.018
310/1	0.624	0.108	310/1	0.624	0.108
298/2/2	1.214	0.096	298/2/2	1.214	0.096
298/3	2.428	0.180	298/3	2.428	0.180
योग मुरैल कलॉ	10.417	0.936		10.417	0.936
महायोग	153.812	15.193	महायोग	155.591	15.193

(2) भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 अगस्त 2012

क्र. 6165-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-देवरीकला, प. ह. नं. 133,

ब. नं. 02, रा. नि. मंडल-चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—03.920

हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
217	0.145
219	0.060
220/1	0.090
220/2	0.060
216/1	0.045
216/2	0.030
216/3	0.125
80, 81, 82	0.045
45/4	0.090
45/7	0.035
43,44	0.180
85/3, 86, 87/1, 88/1	0.300
85/2, 87/2, 88/2	0.120
91	0.180
208/1-2-3	0.060
204	0.075
504	0.040
502/1	0.070
541, 515	0.150
511, 512	0.115

(1)	(2)
502/2	0.060
519/2	0.010
499/2, 500, 501/1	0.065
494/1, 498/1	0.180
490/1	0.022
299/2, 301/2, 298/2	0.065
490/2	0.022
487, 488/2, 489	0.090
488/1	0.105
294/2, 289/2	0.120
290, 294/1, 289/1	0.240
287/1, 288/1	0.070
458/1	0.055
459/3	0.130
461/4	0.022
463/1	0.025
463/2	0.028
461/5	0.101
432/1, 431/1, 434/1	0.045
436, 437, 438, 439	0.150
42, 46, 47, 48, 49,	0.120
50, 52	
466/1, 467/1, 468/1	0.180
योग . .	03.920

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—तुण्डवाड़ा जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 6166-भू-अर्जन-2012.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-चारगांव, प. ह. नं. 61,

ब. नं. 82, रा. नि. मंडल-अमरवाड़ा

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—02.170

हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
--------------------------------	-------------------------------------

187/2	0.120
188/3, 231/1	0.075
188/4	0.125
188/6	0.090
209/3क, 210/1, 211/1	0.020
209/3ख, 210/2, 211/2	0.020
209/2	0.020
208/3	0.015
410/2	0.135
323/2	0.105
208/2, 208/6	0.015
410/1	0.105
402/2, 402/3, 405/1	0.075
392/4, 404/4	0.060
391/1	0.062
392/1, 404/1	0.065
392/2, 404/2	0.070
385/3	0.020
387/1, 388/1	0.015
391/2	0.030
389/2	0.030

(1) (2)

387/2, 388/2	0.015
382/2	0.032
382/1	0.101
380, 381/1	0.060
361/4	0.035
322/6	0.150
326/1, 361/3	0.045
357/2	0.045
354/2	0.020
345, 352/5, 354/1	0.150
336/2	0.060
355/1, 356/1	0.022
337/1-2	0.010
424/12	0.085
407/2, 424/10	0.010
355/2, 356/2	0.038
326/2	0.020

योग . . . 02.170

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—तुण्डवाड़ा जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा, छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 29 अगस्त 2012

प्र. क्र. 28अ-82-वर्ष 2011-12-भू-अर्जन-7504.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची की पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बैतूल
(ख) तहसील—मुलताई
(ग) नगर/ग्राम—पाबल
(घ) पटवारी हल्का नं.—79
(ङ) लगभग क्षेत्रफल—2.925 हे.

खसरा नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
26/1	2.601
29	0.324

कुल योग . . 2.925

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पाबल जलाशय हेतु निजी भूमि का पूरक भू-अर्जन.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) मुलताई के न्यायालय में देखा जा सकता है.
(4) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, मुलताई के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चंद्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 29 अगस्त 2012

क्र. 2971-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

निजी भूमि

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
667	0.10
680	0.15
681	0.24
686	0.10
687/1	0.01
687/2	0.04
687/3	0.03
696	0.03
697	0.06
700	0.13
712	0.08
713	0.06
714	0.05
760	0.03
योग . . 1.11	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना के अजबबोराली माइनर नहर के निर्माण होने से ग्राम केशरपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 1.11 हेक्टेयर है.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2972-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची
निजी भूमि

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
978	1.15
980/1	0.17
980/2	0.05

(1)	(2)
981	0.22
983	0.12
1003/2	0.20
योग . . .	1.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना के करनगढ़ माइनर नहर के निर्माण होने से ग्राम करवड़ की निजी भूमि का कुल रकबा 1.91 हेक्टेयर है.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2974-भू-अर्जन-2012-रा. प्र. क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची
निजी भूमि

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
242	0.01
246	0.11
247	0.15
256	0.05
257	0.01
258	0.03
259	0.10
260	0.03
261	0.02
262	0.08
263	0.03
264	0.06
265	0.02
266	0.02
267	0.06
277	0.16
278	0.10

(1)	(2)
288	0.16
289	0.06
302	0.08
303	0.10
306	0.15
307	0.15
308	0.15
309	0.15
311	0.28
320	0.10
321	0.15
322	0.06
323	0.02
324	0.28
योग . . .	2.93

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—माही परियोजना के करनगढ़ माइनर नहर के निर्माण होने से ग्राम तेजपुरा की निजी भूमि का कुल रकबा 2.93 हेक्टेयर है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयश्री कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर
परियोजना (नहर), जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश
बड़वानी, दिनांक 4 सितम्बर 2012

शुद्धि-पत्र

कार्यालय कलेक्टर, बड़वानी, जिला बड़वानी की उद्घोषणा क्रमांक 1006-भू-अर्जन-नहर-2012, दिनांक 29 मई 2012, प्रकरण क्रमांक 25-अ-82-2011-12, ग्राम पलास्या (तहसील अंजड), जिला बड़वानी, की धारा 6 का मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में प्रकाशन दिनांक 13 जुलाई 2012 में पृष्ठ क्रमांक 2715 पर किया गया है, जिसमें त्रुटिवश खसरा नम्बर 176/2 पैकि, रकबा 0.048 हेक्टर के स्थान पर खसरा नम्बर 176/2 पैकि, रकबा 6.048 हेक्टर प्रकाशित हो गया है, जिसे संशोधित कर खसरा नम्बर 176/2 पैकि, रकबा 0.048 हेक्टर पढ़ा जावे.

जी.एस. डोडिया, भू-अर्जन अधिकारी.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्र. 809-गोपनीय-2012-दो-3-1-2012 (भाग-बी).—न्यायिक अधिकारी जिनके नाम व पदस्थापना की जानकारी पृष्ठांकन में दी गई है, को न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में पांच दिवसीय प्रशिक्षण “Refresher Course for Civil Judges, Class-II” (2008 Batch) (Sixth Batch) जो दिनांक 17 से 22 सितम्बर 2012 तक (श्री गणेश चतुर्थी पर्व, दिनांक 19 सितम्बर 2012 को छोड़कर) की अवधि के लिये आयोजित है, हेतु संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 सितम्बर 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होने हेतु निर्दिष्ट किया जाता है।

प्रशिक्षण की शर्तें निम्नवत होंगी:—

1. अपरिहार्य मामलों को छोड़कर, कोई भी न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण कालावधि में समायोजन की मांग नहीं करेगा। समायोजन पत्र यदि कोई हो तो संस्थान को बिना किसी बिलंब के, संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के माध्यम से भेजा जावे, जिससे कि निदेशक समायोजन के कारणों पर विचार कर तदनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम में समायोजन कर सकें।
2. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर के समक्ष दिनांक 17 सितम्बर 2012 को प्रातःकाल ठीक 9.30 बजे अवश्यमेव उपस्थित होंगे।
3. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित पोशाक यथा काला कोट, सफेद शर्ट, ग्रे पेंट तथा काली टाई में उचित प्रकार से सुसज्जित होकर प्रशिक्षण में उपस्थित होंगे। महिला न्यायिक अधिकारी सफेद साड़ी, ब्लाउज व काले कोट में उपस्थित होंगे।
4. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्न में से प्रत्येक की एक प्रति, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के कम से कम एक सप्ताह पूर्व, प्रशिक्षण संस्थान को अवश्य प्रेषित करें :—

- (i) Judgment in Civil Case (Contested) and
- (ii) Judgment in Criminal Case (Contested)
- (iii) Issues framed by themselves

(iv) Charge framed by themselves

(v) Accused Statement prepared by themselves.

5. न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे जिन विधिक समस्याओं/विषयों पर चर्चा चाहते हों, को प्रशिक्षण केन्द्र के फैक्स नं. 0761-2628679 पर समय रहते अग्रिम प्रेषित करें।
6. टी. ए. एवं डी. ए. केवल शासकीय नियमों के अधीन ही देय होंगे, जिनके संबंध में निर्देश जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजे जा चुके हैं।
7. प्रशिक्षण सत्र में अनुपस्थित रहने अथवा उक्तानुसार वर्णित किसी भी शर्तों का उल्लंघन अनुशासनहीनता माना जावेगा।
8. न्यायिक अधिकारियों को उनके कार्यक्रम के अनुसार रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के मुख्य द्वार पर वाहन की व्यवस्था की जावेगी, जोकि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातः काल तक उपलब्ध रहेगी। अतः न्यायिक अधिकारी, जबलपुर पहुंचने का सही समय इस कार्यालय के कार्य दिवस में, प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच, दूरभाष क्रमांक 0761-2628679, पर समयावधि रहते सूचित करें।
9. प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले न्यायिक अधिकारियों के ठहरने के लिये न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर में द्वितीय एवं तृतीय तल पर अस्थायी हॉस्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के एक दिन पूर्व के दिवस को अपरान्ह से शुरू होकर प्रशिक्षण के समाप्त होने की तिथि की अगली दिनांक के प्रातःकाल तक उपलब्ध रहेगी। यह भी कि यदि किसी प्रशिक्षणार्थी को उक्त अस्थायी हॉस्टल के द्वितीय एवं तृतीय तल पर, स्वास्थ्य कारणों से, ठहरने में कोई कठिनाई हो तो वह अपनी पसंद के किसी अन्य स्थान पर ठहरने की व्यवस्था कर सकेगा, जिसकी उसे पूर्व सूचना इस संस्थान को देनी होगी। इस व्यवस्था के लिये प्रशिक्षणार्थी नियमानुसार टी. ए. एवं डी. ए. क्लेम करने के पात्र होंगे।
10. न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण सत्र के दौरान चाय, नाश्ता तथा दिन एवं रात्रि का भोजन प्रदान किया जावेगा।

जबलपुर, दिनांक 23 अगस्त 2012

क्र. D-4392-दो-3-1-36-भाग-पांच.—श्री एस. के. साहा, स्थायी डिप्टी रजिस्ट्रार (वर्तमान में तदर्थ रूप से, रजिस्ट्रार कम पी. पी. एस) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 17 (ई) 33-2012-इक्कीस-ब (एक), भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2012 द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) के पद का उन्नयन ज्वाइंट रजिस्ट्रार प्रोटोकॉल के पद पर किये जाने के फलस्वरूप उनकी पदोन्नति ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) के पद पर वेतनमान रु. 15600-39100+ रु. 7600 (ग्रेड पे) में दिनांक 31 जुलाई 2012 से अस्थायी एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की स्थापना पर की जाती है।

श्री एस. के. साहा, ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल) के पद पर कार्यरत रहते हुए रजिस्ट्रार-कम-पी. पी. एस. का कार्य पूर्वानुसार आगामी आदेश तक संपादित करते रहेंगे।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. D-4433-दो-2-72-07.—श्री एच. के. दुबे (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश), अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 31 जुलाई 2012 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 नवम्बर 2010 से 31 जुलाई 2012 तक इक्कीस माह की अवधि के लिए छब्बीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक-1445-630-898-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-4435-दो-2-44/06.—श्री एल. एच. थधानी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 22 मई 2012 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 जून 2010 से 22 मई 2012 तक तेईस माह की अवधि के लिए पात्रानुसार आठ दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक-1445-630-898-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-4437-दो-2-30/2011.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान

न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 4 से 9 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 10 से 12 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-4439-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 10 से 13 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. A-1728-दो-3-57/2002.—सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को दिनांक 9 से 11 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री सुषमा खोसला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री सुषमा खोसला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A-1730-दो-2-32-2011.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को दिनांक 17 से 19 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-1732-दो-2-12-2002.—श्री एच. के. दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 9 से 13 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 जुलाई 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 14 तथा 15 जुलाई 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. दुबे, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. दुबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4483-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 28 जून से 7 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4488-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 26 जुलाई से 1 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D-4492-दो-2-3-2008.—श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 16 एवं 17 जुलाई 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. सी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-4494-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को दिनांक 16 से 18 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 से 20 अगस्त 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-4496-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 6 से 9 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 अगस्त 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 10 से 12 अगस्त 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-4498-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 13 एवं 14 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10, 11 एवं 12 अगस्त 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 15 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-4501-दो-2-17-2012.—श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 30 जुलाई से 4 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 जुलाई 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 5 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती नरिन्दर वीर कौर कान्द्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 25 अगस्त 2012

क्र. D-4441-दो-3-76-98.—श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार (ई), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 6 से 14 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके नौ दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 अगस्त 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 15 अगस्त 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. पाण्डे, रजिस्ट्रार (ई), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. पाण्डे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (ई) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 27 अगस्त 2012

क्र. C-6701-दो-3-35-2011.—श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 16 से 17 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. वर्मा, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.